
अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

अध्याय - 1

राज्य सरकार के वित्त

यह अध्याय वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2017-18 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

यह विश्लेषण झारखण्ड सरकार (झा.स.) के वित्त लेखे में दिये गये विवरणों पर आधारित है। राज्य का परेखा परिशिष्ट 1.1-भाग क में दिया गया है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद¹ (स.रा.घ.उ.)

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) तथा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) के वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.1 में दिये गये हैं।

तालिका 1.1: भारत का स.घ.उ. तथा राज्य का स.रा.घ.उ.

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्यों पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
वर्तमान मूल्यों पर भारत के स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.79	10.66	11.55	11.28	11.20
वर्तमान मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,18,525	2,06,613	2,36,250	2,76,243	3,07,581
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.89	(-) 5.45	14.34	16.93	11.34
स्थिर मूल्यों पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,86,534	1,74,881	1,93,174	2,17,618	2,32,821
स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.49	(-) 6.25	10.46	12.65	6.99
चालू मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति स.घ.उ (₹ में)	99,728	1,14,424	1,19,375	1,29,800	1,42,719
चालू मूल्य पर राज्य का प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ (₹ में)	62,496	58,139	65,405	75,246	82,430

स्रोत: भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 01.08.2019 को जारी स.घ.उ./ स.रा.घ.उ. के आँकड़े।

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या परिशिष्ट 1.1-भाग 'ख' में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास परिशिष्ट 1.1-भाग 'ग' में है।

1.1.1 2018-19 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 एवं 1.3 2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का तुलनात्मक सारांश प्रस्तुत करता है। परिशिष्ट 1.2 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के सार के साथ-साथ समग्र राजकोषीय स्थिति दर्शाता है।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य हैं और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक हैं।

तालिका 1.2: वर्ष 2014-19 के दौरान प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

ब्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में प्रतिशत वृद्धि/हास
खण्ड क : राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	31,564.56	40,638.35	47,053.93	52,756.03	56,151.70	6.44
स्वयं का कर राजस्व (स्व. क.रा.)	10,349.81	11,478.95	13,299.25	12,353.44	14,752.04	19.42
स्व. क.रा./रा.प्रा. (प्रतिशत)	32.79	28.25	28.26	23.42	26.27	-
कर-भिन्न राजस्व (क.भि.रा.)	4,335.06	5,853.01	5,351.42	7,846.67	8,257.98	5.24
क.भि.रा./रा.प्रा. (प्रतिशत)	13.73	14.40	11.37	14.87	14.71	-
संघीय कर एवं शुल्क का अंश	9,487.01	15,968.75	19,141.92	21,143.63	23,906.16	13.07
भारत सरकार से अनुदान	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52	-19.07
खण्ड ख : पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	25.09	0.00	-100.00
ऋणों व अग्रिमों की वसूलियाँ	33.06	31.06	38.46	42.41	47.57	12.17
लोक ऋण प्राप्तियाँ ²	6,690.12	13,244.65	7,081.42	8,136.85	7,803.43	-4.10
अंतर्राज्यीय परिशोधन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
आकस्मिकता निधि में अंतरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
लोक लेखा प्राप्तियाँ ³	20,189.17	29,036.72	22,051.8	27,833.30	25,409.79	-8.71
रोकड़ का आरंभिक शेष	1,285.48	444.21	1,904.72	1,947.85	550.44 ⁴	-71.74
कुल	59,762.39	83,394.99	78,130.33	90,741.53	89,962.93	-0.86

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

² अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अधीन निवल लेन-देन को छोड़कर

तालिका 1.3: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पू.व्य. की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

व्यौरा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वर्ष 2017-18 के सापेक्ष 2018-19 में प्रतिशत वृद्धि/हास
खण्ड क : राजस्व						
राजस्व व्यय	31,794.90	36,552.83	45,089.04	50,952.07	50,630.73	-0.63
सामान्य सेवायें	10,623.45	12,002.43	13,023.76	16,558.33	17,655.66	6.63
सामाजिक सेवायें	11,915.34	14,843.81	18,557.37	19,574.97	18,786.03	-4.03
आर्थिक सेवायें	9,256.11	9,706.59	13,507.91	14,818.77	14,189.04	-4.25
सहायता-अनुदान अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
खण्ड ख : पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत परिव्यय	5,542.94	8,158.51	10,860.68	11,952.71	10,711.71	-10.38
संवितरण ऋण व अग्रिम	823.78	7,480.00	1,335.06	1,851.67	1,485.59	-19.77
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,879.88	2,245.93	2,077.88	2,949.50	3,060.1	3.75
अंतर्राज्यीय परिशोधन (निवल)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
आकस्मिक निधि से व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
लोक लेखा संवितरण ³	19,276.68	27,053.00	16,819.82	22,885.14	23,279.41	1.72
रोकड़ का अंतर्शेष	444.21	1,904.72	1,947.85	150.44	795.39 ⁴	428.71
कुल	59,762.39	83,394.99	78,130.33	90,741.53	89,962.93	-0.86

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के तुलना में 2018-19 के दौरान राजकोषीय संचालनों में वृद्धि/हास नीचे दर्शाये गए हैं:

- राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,395.67(6.44 प्रतिशत) वृद्धि मुख्यतः एस.जी.एस.टी., राज्य उत्पाद एवं भू-राजस्व और संधीय कर अंतरण से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुआ जबकि भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 2,176.77 (19.01 प्रतिशत) का हास हुआ जिसकी समीक्षा कंडिका 1.3 में की गई है।
- राजस्व व्यय ₹ 321.34 करोड़ (0.63 प्रतिशत) से मामूली ₹ प से घटा जबकि पूँजीगत व्यय ₹ 1,241 करोड़ (10.38 प्रतिशत) से मुख्यतः परिवहन, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण और कृषि एवं सहयोगी गतिविधियों पर कम खर्च के कारण घटा। आगे इसकी चर्चा कंडिका 1.6.1 में की गई है।
- लोक ऋण प्राप्तियों ₹ 333.42 करोड़ (4.10 प्रतिशत) से घटा जबकि लोक ऋण पुनर्भुगतान ₹ 110.60 करोड़ (3.75 प्रतिशत) से बढ़ा।

³ आँकड़ों में 'अन्य लेखे' यथा विभागीय रोकड़ शेष, स्थायी अग्रदाय एवं रोकड़ शेष निवेश के अंतर्गत लेन-देन सम्मिलित नहीं हैं

⁴ वर्ष 2012-13 के दौरान पत्र संख्या 554, दिनांक 23.07.2019 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित आरंभिक एवं अंत शेष

- लोक लेखा प्राप्तियों ₹ 2,423.51 करोड़ (8.71 प्रतिशत) मुख्यतः जमा एवं अग्रिम में हास के कारण घटा जबकि संवितरण ₹ 394.27 करोड़ (1.72 प्रतिशत) से बढ़ा।
- रोकड़ शेष ₹ 644.95 करोड़ (428.71 प्रतिशत) से बढ़ा जैसा कि कंडिका 1.8.5 में चर्चा की गई है।

वर्तमान तथा स्थिर मूल्यों पर स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों (रा.प्रा.), राजस्व व्यय (रा.व्य.) और पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.4 में नीचे प्रस्तुत किये गए हैं।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ					
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	20.77	28.74	15.79	12.12	6.44
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	26,944	34,397	38,475	41,560	42,504
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.23	27.66	12.61	8.02	2.27
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.44	19.67	19.92	19.10	18.26
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	35.46	14.96	23.35	13.00	(-) 0.63
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	27,140	30,939	36,868	40,139	38,325
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	31.49	14.00	19.96	8.87	(-) 4.52
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	14.55	17.69	19.09	18.44	16.46
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	5543	8,159	10,861	11,952	10,712
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17.39	47.19	33.12	10.05	(-) 10.38
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,732	6,906	8,881	9,416	8,108
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.95	45.96	29.46	6.03	(-) 13.89
पूँ.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.54	3.95	4.60	4.33	3.48

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई है जबकि 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में कमी आयी है। वर्तमान वर्ष के दौरान, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के ंप में रा.प्रा., रा.व्य. एवं पूँ.व्य. के अनुपात में मुख्य ंप से कमी हुई है। इसके अलावा, वर्ष 2015-16 में पूँजी निर्माण की वृद्धि दर में अत्यधिक एवं निरंतर कमी हुई है।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) की अनुशंसाओं के आधार पर बजट में उपबंधित और राजकोषीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति (एम.टी.एफ.पी.) विवरणी में

लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत 2018-19 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.5 में दिया गया है।

तालिका 1.5: वर्ष 2018-19 में मुख्य राजकोषीय अवयव

(प्रतिशत में)

राजकोषीय अवयव	2018-19			वास्तविक
	राज्य के लिए 14 ^{वें} वि. आ. का लक्ष्य	एम.टी.एफ.पी. विवरणी में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजस्व घाटा(-)/राजस्व आधिक्य (+)	शून्य	(+)2.23	(+) 2.62	(+)1.79
स.रा.घ.उ. के संदर्भ में राजकोषीय घाटा	3.25	2.61	2.11	2.16
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात	26.31	29.74	-	27.20

वर्ष 2006-07 में राज्य ने राजस्व घाटा को समाप्त कर एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में दिये गये लक्ष्यों को प्राप्त कर राजस्व घाटा को, वर्ष 2014-15⁵ के अलावा, राजस्व आधिक्य में परिवर्तित कर लिया। 2018-19 में ₹ 5,521 करोड़ का राजस्व आधिक्य पिछले दो राजकोषीय उपलब्धियों से काफी अधिक था। जबकि, स.रा.घ.उ. (1.79 प्रतिशत) के प्रतिशत के रूप में, यह एम.टी.एफ.पी. अनुमान (2.23 प्रतिशत) और बजट अनुमान (2.62 प्रतिशत) की तुलना में कम था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटा (₹ 6,629 करोड़) वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. का 2.16 प्रतिशत था, जो चौ.वि.आ. द्वारा 3.25 प्रतिशत की अनुशंसित सीमा से बहुत कम था। इसके अलावा, राजस्व घाटा-स.रा.घ.उ. का अनुपात एम.टी.एफ.पी. के अंतर्गत लक्ष्य के अनुमान से कम और वर्ष के बजट अनुमान से थोड़ा अधिक था।

2018-19 के दौरान, राज्य का ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात 27.20 प्रतिशत था जो एम.टी.एफ.पी. अनुमान (29.74 प्रतिशत) से कम और चौ.वि.आ. अनुशंसा (26.31 प्रतिशत) से अधिक था।

वैसे तो राज्य ने ₹ 5,520.97 करोड़ का राजस्व आधिक्य प्राप्त किया लेकिन वह ₹ 953.92 करोड़ से अत्योक्ति था। इसी प्रकार ₹ 6,628.74 करोड़ का राजकोषीय घाटा ₹ 953.92 करोड़ से न्यूनोक्ति रहा जैसा कि कंडिका 3.9 में दर्शाया गया है।

⁵ ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजस्व घाटा राज्य के राजस्व एवं अऋण प्राप्तियों के उपर (मुख्यतः रिजर्व बैंक के साथ नकद एवं निवेश शेषों तथा उधार) राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (ऋण एवं अग्रिम सहित) के अधिकता को पूर्ण करने की वित्तीय आवश्यकता को दर्शाता है।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के स्वरूप को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका .16: राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19			
	राजकोषीय घाटे का संयोजन (कोष्ठक में दिये गए आँकड़े स.रा.घ.उ. से प्रतिशतता दर्शाती है)	6,564 (3.00)	11,523 ⁶ (5.58)	10,192 (4.31)	11,933 (4.32)	6,629 (2.16)			
1	राजस्व घाटा(-)/आधिक्य(+)	(-)230	4,085	1,965	1,804	5,521			
2	निवल पूँजीगत व्यय ⁷	5,543	8,159	10,861	11,928	10,712			
3	निवल ऋण एवं अग्रिम ⁸	791	7,449	1,296	1,809	1,438			
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप						प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल	
1	बाजार से लिये गये उधार	4,488	4,755	4,725	4,807	5,509	1,486	4,023	
2	भारत सरकार से ऋण	(-)5	(-)2	77	71	273	167	106	
3	एन.एस.एस.एफ. को निर्गत विशेष प्रतिभूति	335	573	(-)733	(-)746	0	757	(-)757	
4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	(-)8	5,673	934	1,054	2,021	650	1,371	
5	अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	(-)202	(-)159	(-)121	66	1,120	1,051	69	
6	आरक्षित निधि	275	10	383	292	421	42	379	
7	जमा एवं अग्रिम	1,093	2,111	5,031	4,722	12,879	11,383	1,496	
8	उचंत एवं विविध	(-)13	17	(-)30	(-)224	39	(-) 88	127	
9	प्रेषण	(-)238	1	(-)30	93	10,648	10,588	60	
10	अन्तर्राज्यीय समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	
11	रोकड़ शेष वृद्धि(+)/घाटा(-)	841	(-)1,461	(-)43	1,798	550	795 ⁹	(-)245	

* ये सभी आँकड़े वर्ष के दौरान, 2018-19 को छोड़कर, निवल संवितरण/बहिर्गमन हैं।

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 6,629 करोड़ के राजकोषीय घाटे की प्रतिपूर्ति मुख्यतः बाजार उधार (₹ 4,023 करोड़) और जमा एवं अग्रिम (₹ 1,496 करोड़) एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण (₹ 1,371 करोड़) से किया गया।

⁶ उदय बॉन्ड (₹ 5,553.37 करोड़) पर उधार सम्मिलित है। उदय बॉन्ड पर उधार छोड़कर 2015-16 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 5,970 करोड़ था।

⁷ अऋण पूँजीगत व्यय घटाव अऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ

⁸ ऋण एवं अग्रिम घटाव वसूली

⁹ वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 23.07.2019 की पत्र सं.- 554 वित्त विभाग द्वारा जारी प्रतिवेदन में राज्य आपदा कोष में ₹ 400 करोड़ के निवेश सहित संशोधित

1.1.2.2 घाटा/आधिक्य की गुणवत्ता

आदर्श रूप में, राज्य का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान सहित) राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ राजस्व घाटे की प्रतिपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक में जमा से उधार लेकर तथा निकासी से किया जाता है, वहीं राजस्व आधिक्य को पूँजीगत व्यय हेतु उपयोग में लाया जा सकता है ताकि रिजर्व बैंक जमा (रि.बैं.ज.) से उधार लेने व निकासी की आवश्यकता कम हो। अग्रतर, यदि गैर-ऋण प्राप्तियों से प्राथमिक व्यय¹⁰ पूरा हो सके तो उधार लेकर वित्तपोषित करने हेतु कोई भी प्राथमिक घाटा नहीं होगा। अतः, राज्य के वित्त की स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि वृद्धिशील प्राथमिक व्यय और वृद्धिशील ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए गैर-ऋण प्राप्तियाँ पर्याप्त होनी चाहिए।

तालिका 1.7: राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण एवं अग्रिम	प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व घाटा ¹¹ (-)/आधिक्य(+)	प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य(+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2014-15	31,598	28,866	5,543	824	35,233	(+)2,732	(-)3,635
2015-16	40,669	33,233	8,159 ¹²	7,480	48,872	(+)7,436	(-)8,203
2016-17	47,093	40,917	10,861	1,335	53,113	(+)6,176	(-)6,020
2017-18	52,824	46,290	11,953	1,852	60,095	(+)6,534	(-)7,271
2018-19	56,199	45,779	10,712	1,485	57,976	(+)10,420	(-)1,777

स्रोत: संबंधित वर्षों का झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

जैसा कि तालिका 1.7 से स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की गैर-ऋण प्राप्ति में ₹ 3,375 करोड़ (6.4 प्रतिशत) वृद्धि तथा प्राथमिक राजस्व व्यय एवं पूँजीगत व्यय में क्रमशः ₹ 511 करोड़ (1.10 प्रतिशत) और ₹ 1,241 करोड़ (10.38 प्रतिशत) कमी के कारण प्रारंभिक घाटा में कमी आयी है। प्रारंभिक राजस्व व्यय में कमी एवं गैर-ऋण प्राप्तियों में वृद्धि के कारण, वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य को ₹ 10,420 करोड़ के प्राथमिक राजस्व आधिक्य हुआ।

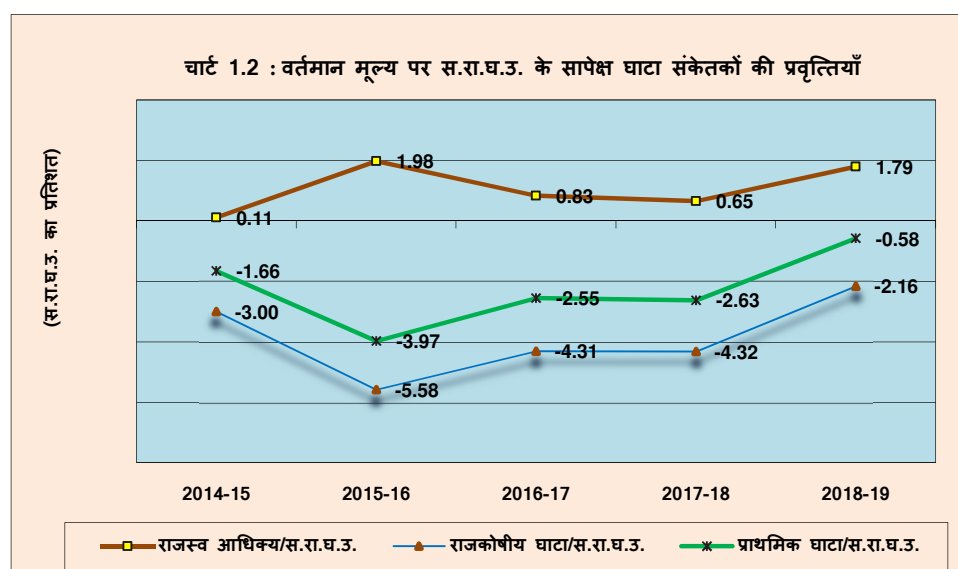
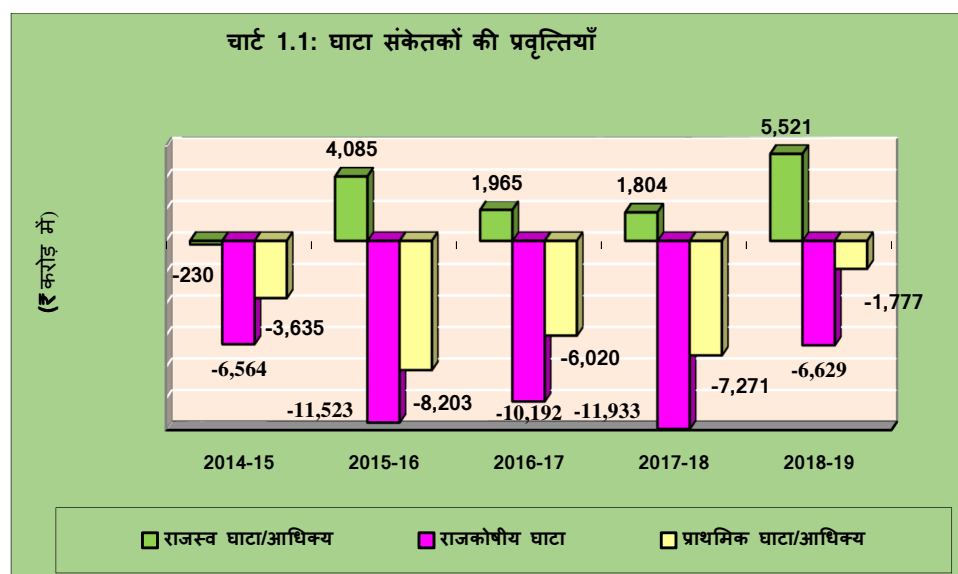
1.1.2.3 घाटे की प्रवृत्तियाँ

चार्ट 1.1 एवं चार्ट 1.2 वर्ष 2014-19 अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है।

¹⁰ राजस्व, पूँजीगत और ऋण एवं अग्रिम पर व्यय, परंतु ब्याज अदायगी में नहीं।

¹¹ प्राथमिक राजस्व घाटा ब्याज रहित राजस्व व्यय और अऋण प्राप्तियों के बीच का अंतर है और यह दर्शाता है कि अऋण प्राप्तियाँ राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए किस हद तक उपयुक्त हैं।

¹² उदय बॉन्ड के ऋण (₹ 5,553.37 करोड़) को सम्मिलित करते हुए।



मुख्यतः मूल बजट अनुमानों (सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 6,066 करोड़ रुपये और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत ₹ 4,909 करोड़ रुपये) की तुलना में कम राजस्व व्यय के कारण 2018-19 में ₹ 5,521 करोड़ का राजस्व आधिक्य रहा।

2018-19 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर 12.12 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 6.44 प्रतिशत मुख्यतः भारत सरकार से सहायता अनुदान में कमी के कारण रहा। इसके बावजूद राज्य का राजस्व 2017-18 के दौरान 8.30 प्रतिशत के सापेक्ष चालू वर्ष में 13.90 प्रतिशत रहा।

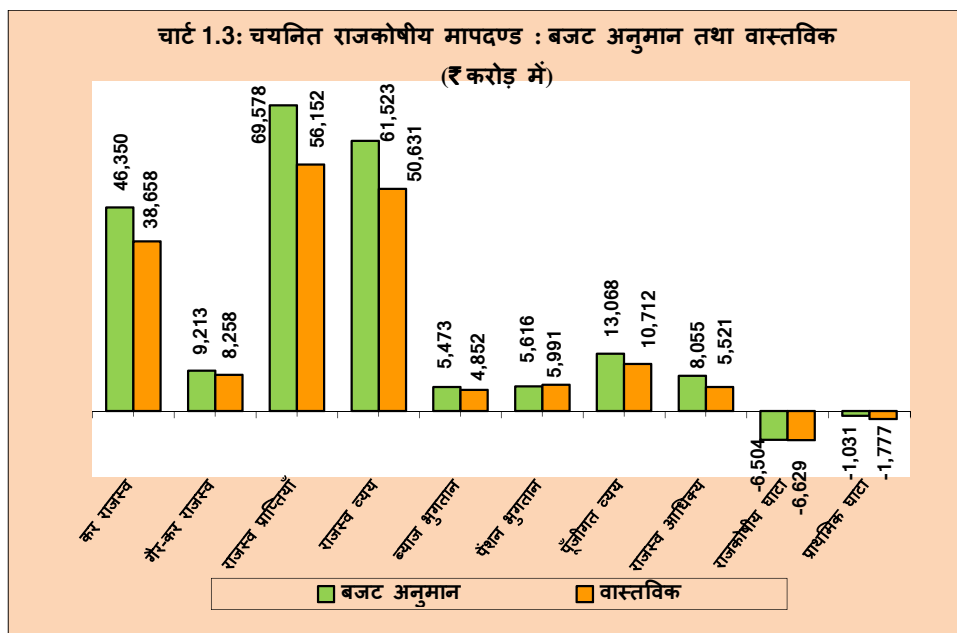
राजस्व व्यय की वृद्धि दर वर्ष 2017-18 में 13 प्रतिशत था जो 2018-19 में 0.6 प्रतिशत ऋणात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप इन वर्षों के दौरान राजस्व आधिक्य में वृद्धि हुई। राजस्व व्यय की निम्नतर वृद्धि दर जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि एवं संबंधित क्रियाकलाप, ऊर्जा इत्यादि जैसी सेवाओं पर कम व्यय के कारण था।

अनुशंसा: सरकार को विकास सेवाओं जैसे शिक्षा, जल आपूर्ति स्वच्छता, सामाजिक कल्याण, कृषि इत्यादि के प्रावधानों की पूर्ण उपयोगिता को सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि बजट दस्तावेजों में अनुमानित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।

1.1.3 बजट अनुमान एवं वास्तविक

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट दस्तावेज किसी विशेष राजकोषीय वर्ष हेतु राजस्व एवं व्यय के अनुमानों या आकलनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राजस्व एवं व्यय के आकलन में शुद्धता के महत्व को समग्र आर्थिक प्रबंधन हेतु राजकोषीय नीतियों के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संदर्भ में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। बजट अनुमानों से विचलन, कई कारणों से जो सरकार के नियंत्रणाधीन व नियंत्रण से बाहर दोनों प्रकार के हैं, अपेक्षित राजकोषीय लक्ष्यों की अप्राप्ति और गैर-अनुकूलन के सूचक हैं।

चार्ट 1.3 2018-19 के लिए कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय मापदंड हेतु बजट अनुमान तथा वास्तविक आँकड़ों का एक तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार की वार्षिक वित्तीय विवरणी और वित्त लेखे 2018-19

टिप्पणी: कर राजस्व में संघीय करों में राज्य का हिस्सा सम्मिलित है।

उपरोक्त चार्ट दर्शाता है कि वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय दोनों, वर्ष 2018-19 हेतु राज्य सरकार द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों से काफी कम थी। वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ अपने बजट अनुमान से ₹ 13,426 करोड़ से कम थी, जो मुख्य रूप से निजी कर राजस्व में ₹ 4,598 करोड़ और भारत सरकार के जी.आई.ए. एवं सी.टी.टी. द्वारा बजट अनुमान के विरुद्ध क्रमशः ₹ 4,614 करोड़ तथा ₹ 3,094 करोड़ कम संग्रहण के कारण था।

बजट अनुमानों की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व व्यय में (₹ 10,892 करोड़ तक) की कमी आयी है, जो मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं पर (₹ 6,066 करोड़ तक) और आर्थिक सेवाओं पर (₹ 4,909 करोड़ तक) कम खर्च के कारण था।

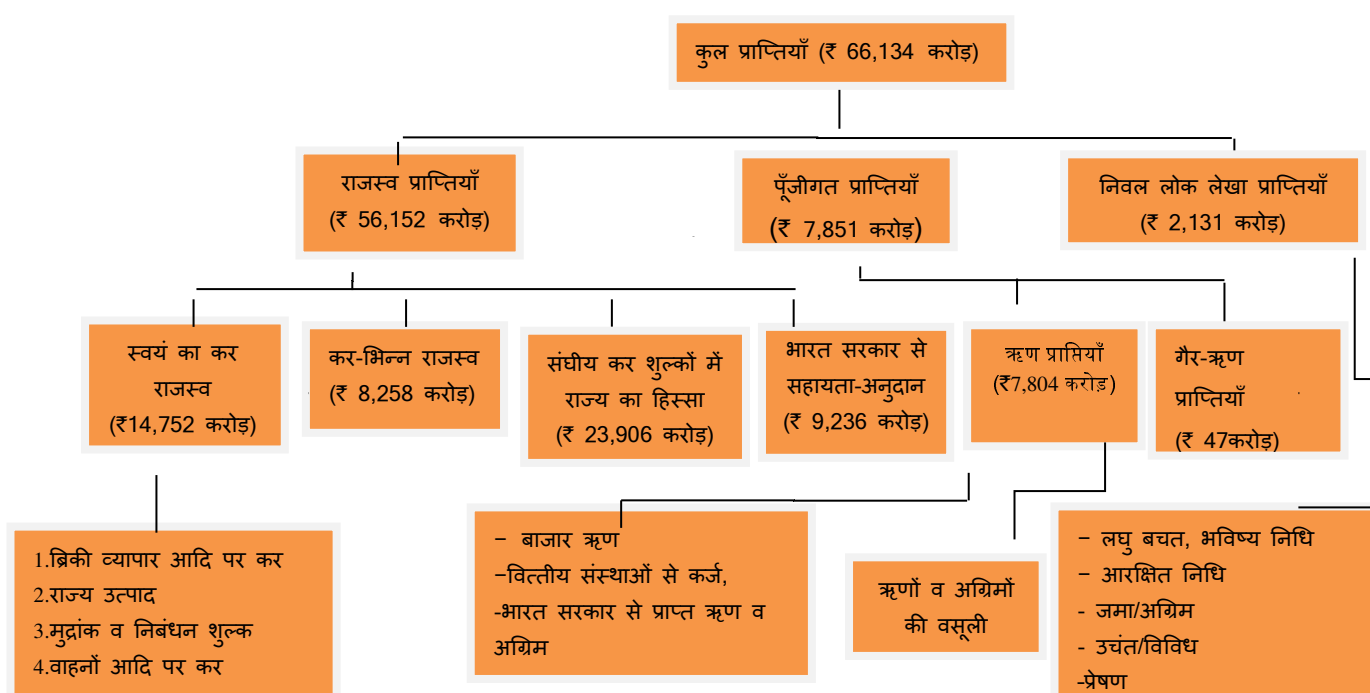
वर्ष के दौरान, राज्य का पूँजीगत व्यय बजट अनुमानों से ₹ 2,356 करोड़ कम था, जो मुख्य रूप से प्रावधान के विरुद्ध आर्थिक एवं सामाजिक सेवाओं पर कम खर्च के कारण था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने के उपक्रम को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जाए।

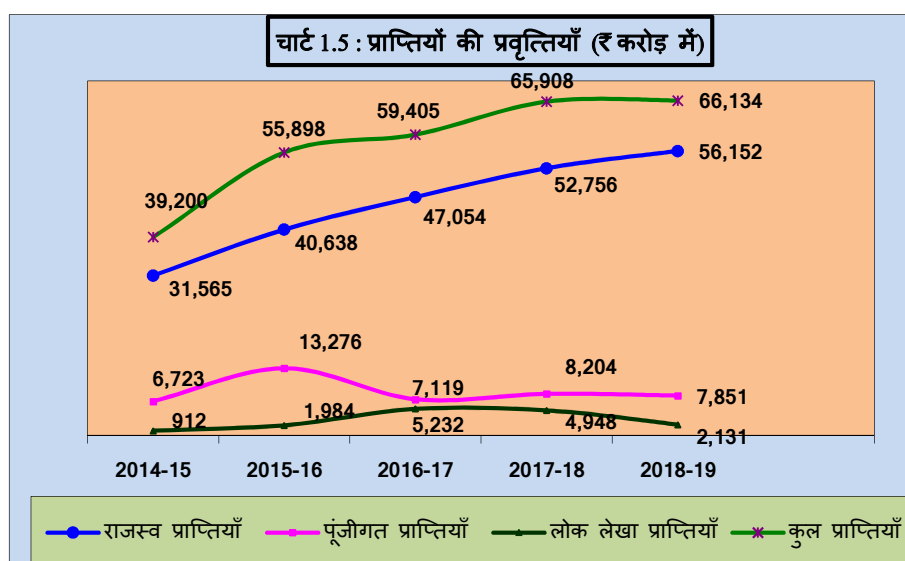
1.2 राज्य के संसाधन

उपर पृष्ठ 2 में तालिका 1.2 और चार्ट 1.4 से चार्ट 1.6 राज्य के आर्थिक संसाधनों के विभिन्न स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जैसा कि वित्तीय लेखाओं में दर्शाया गया है।

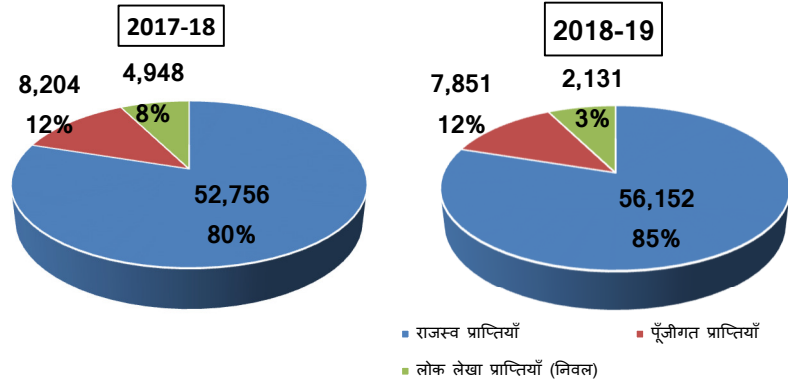
चार्ट 1.4 : संसाधनों के घटक तथा उप-घटक



स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19



**चार्ट 1.6: 2017-18 व 2018-19 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन
(₹ करोड़ में)**

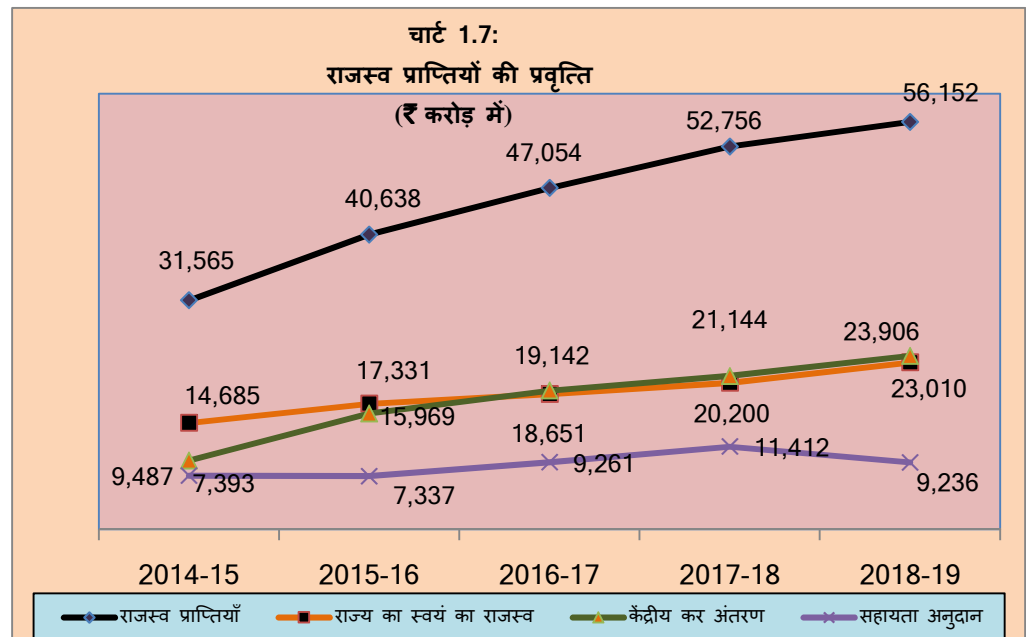


स्रोत : झारखण्ड सरकार के वर्ष 2017-18 व 2018-19 के वित्त लेखे

कुल प्राप्तियों में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा (रा.प्रा./कु.प्रा.) पाँच प्रतिशत बढ़ा, जबकि कुल प्राप्तियों में लोक लेखा प्राप्तियों का हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में पाँच प्रतिशत कम रहा। कुल प्राप्तियों में पूँजीगत प्राप्तियों का हिस्सा 2017-19 के दौरान समान रहा।

1.3 राजस्व प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 की अवधि में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और संयोजन परिशिष्ट 1.3 एवं चार्ट 1.7 में प्रस्तुत किए गए हैं।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

यद्यपि पूर्ववर्ती वर्ष के सापेक्ष, राज्य के अपने राजस्व में 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो भारत सरकार (सी.टी.टी. एवं जी.आई.ए.) द्वारा प्राप्त राजस्व से कम था। इसके अलावा, जी.आई.ए. में जो सारभूत (₹ 2,176 करोड़) कमी थी। वह सी.टी.टी. (₹ 2,762 करोड़) में मुख्य वृद्धि के कारण पूरी हुई।

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में प्रस्तुत की गयी है।

तालिका 1.8: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.) (₹ करोड़ में)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152
रा.प्रा. के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	20.77	28.74	15.79	12.12	6.44
रा.प्रा./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	14.44	19.67	19.92	19.10	18.26
राज्य का स्वयं का कर/स.रा.घ.उ.	4.74	5.56	5.65	4.84	4.80
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर वर्तमान मूल्य पर	15.89	(-)5.45	14.34	16.93	11.34
स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर स्थिर मूल्य पर	12.49	(-)6.25	14.46	12.65	6.99

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में दर्शाया गया है वर्ष 2015-16 से आगे राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर में निरंतर कमी आयी है। हालांकि, स.रा.घ.उ. की तुलना में इसके अनुपात में वर्ष 2015-19 के दौरान स.रा.घ.उ. की वृद्धि में उतार-चढ़ाव के कारण कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं दिखा।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वें} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में 2018-19 हेतु राज्य के वास्तविक स्वयं का कर और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर तथा कर-भिन्न प्राप्तियाँ

	14 ^{वें} वि.आ. के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक
स्वयं का कर राजस्व	22,187	19,350	14,752
कर-भिन्न राजस्व	5,717	9,213	8,258
स्व कर राजस्व से स.रा.घ.उ.	7.37	6.29	4.80

स्रोत: 14^{वें} वि. आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज़ तथा 2018-19 का वित्त लेखे

14^{वें} वित्त आयोग आकलन और बजट अनुमानों के विरुद्ध स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्यतः जी.एस.टी (₹ 2,535 करोड़) और मूल्य वर्धित कर (₹ 1,475 करोड़) के संग्रह में कमी की कारण थी। कर-भिन्न राजस्व में कमी, बजट अनुमानों की तुलना में गैर-खनन एवं धातु कर्म उद्योगों (₹ 1,227 करोड़) से राजस्व के संग्रह में कमी के कारण थी। हालांकि, जी.एस.टी के संग्रह में कमी की भरपाई भारत सरकार द्वारा विस्तृत अनुदान के रूप में आंशिक रूप से मुआवजा के रूप में दी गई राशि से हुई जैसा कि कंडिका 1.3.3 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

1.3.1.1 कर-राजस्व

प्रमुख करों और शुल्कों के सकल संग्रहण तालिका 1.10 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सी.ए.जी. आर.*	2018-19 में संग्रहण पर व्यय (प्रतिशत)	संग्रहण पर व्यय (2017-18) (प्रतिशत)	2017-18 में संग्रहण पर व्यय का अखिल भारतीय औसत
बिक्री, व्यापार पर कर, एस.जी.एस.टी.** इत्यादि	8,070	8,999	10,549	9,839	11,676	9.67	0.71	0.64	0.69
राज्य उत्पाद	740	912	962	841	1,083	9.99	2.03	2.35	1.83
वाहनों पर कर	660	633	682	778	864	6.97	0.78	0.82	2.61
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	531	532	607	469	451	(-) 4.00	3.54	3.63	2.96
भू-राजस्व	84	164	240	156	389	46.70	5.56	-	-
विद्युत कर तथा शुल्क	175	126	152	184	209	4.49	-	-	-
आय पर अन्य कर तथा व्यय	57	83	68	74	79	8.32	-	-	-
सामग्रियों एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क	33	30	40	13	1	(-)54.63	-	-	-
सामग्रियों एवं यात्री पर कर	1	0	0	0	0	-	-	-	-
कुल कर राजस्व	10,351	11,479	13,300	12,354	14,752	-	-	-	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

* सी.ए.जी.आर.: चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर

** एस.जी.एस.टी.: राज्य वस्तु एवं सेवा कर

पिछले वर्ष में 7.11 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की स्वयं की कर प्राप्तियों में 19.42 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, भारत सरकार ने जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के कारण राजस्व हानि के मुआवजे के रूप में राज्य को ₹ 1,029 करोड़ का अनुदान प्रदान किया जैसा कि कंडिका 1.3.3 में वर्णित है। वर्ष 2018-19 के दौरान गोदामों से खुदरा दुकानों में ले जाने वाली मदिरा के परिवहन शुल्क में वृद्धि के कारण राज्य उत्पाद के अंतर्गत प्राप्तियों में ₹ 242 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 के दौरान मुख्यतः नए कर ढाँचे की शुरुआत के कारण वाहनों पर कर के तहत प्राप्तियों में ₹ 86 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसमें ट्रैक्टर, ट्रैलर, मशीनरी से सुसज्जित वाहन, थ्री व्हीलर (पैसेंजर) और थ्री व्हीलर (माल) वाहनों को एक मुश्त कर सीमा के तहत लाया गया। वर्ष 2018-19 के दौरान

विभिन्न कंपनियों, संस्थानों, प्राधिकारियों आदि को सरकारी भूमि के हस्तांतरण के कारण राज्य के भू-राजस्व में ₹ 233¹³ करोड़ की वृद्धि हुई।

स्वयं के कर संग्रहण पर व्यय

जैसा कि तालिका 1.10 में दर्शाया गया है, 2018-19 के दौरान राज्य में करों के संग्रह की लागत पिछले वर्ष की तुलना में जी.एस.टी. सहित बिक्री कर को छोड़कर सभी करों के मुकाबले कम हुई है। 2018-19 के दौरान, अखिल भारतीय औसत की तुलना में स्टाम्प पंजीकरण और राज्य उत्पाद शुल्क कि लिए राज्य में करों के संग्रह की लागत काफी अधिक थी, जबकि वाहन पर करों के संबंध में यह कम था।

1.3.1.2 कर-भिन्न राजस्व (एन.टी.आर.)

वर्ष 2018-19 के दौरान संग्रह किए गए कर-भिन्न राजस्व 14^{वें} वित्त आयोग द्वारा उस वर्ष हेतु ₹ 5,217 करोड़ के मानक अनुमान के विरुद्ध ₹ 8,258 करोड़ रुपये थे परन्तु ₹ 9,213 करोड़ के बजट अनुमान से कम था जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

2014-19 के दौरान संग्रह किए गए घटक-वार कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: घटक-वार कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,473.00	4,384.43	4,094.25	5,941.36	5,934.64
शिक्षा, खेलकूद, कला, तथा संस्कृति	42.25	19.99	21.10	19.46	589.92
मुख्य सिंचाई	194.97	19.27	21.02	131.46	320.51
ब्याज प्राप्तियाँ	143.04	122.44	121.34	168.88	47.20
अन्य कर-भिन्न प्राप्तियाँ ¹⁴	481.80	1,306.89	1,093.70	1,585.51	1,365.71
कुल	4,335.06	5,853.02	5,351.41	7,846.67	8,257.98

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राजस्व प्राप्तियों में एन.टी.आर. का हिस्सा वर्ष 2017-18 में 14.87 प्रतिशत से थोड़ा घटकर 2018-19 में 14.71 प्रतिशत हो गया। राजस्व प्राप्तियों में एन.टी.आर. की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 46.64 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 5.24 प्रतिशत थी। यह मुख्यतः अलौह खनन और धातुकर्म उपयोगों में कम वृद्धि एवं पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज प्राप्तियों में कम संग्रह के कारण था। वर्ष 2017-18 के दौरान

¹³ कुछ मुख्य जमाकर्ता नजारत सेक्सन, देवघर (₹ 51.87 करोड़), सी.ई.ओ. मैथन पावर लिमिटेड (₹13.24 करोड़), राहुल जी आनंद जी (₹ 6.49 करोड़), ए.सी., दुमका (₹ 9.31 करोड़) इत्यादि है।

¹⁴ शहरी विकास, सड़क एवं पुल, श्रम एवं नियोजन, अन्य प्रशासनिक सेवायें, अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, मध्यम सिंचाई इत्यादि।

ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि बैंक खातों में पड़े योजना निधि के अप्रयुक्त शेष के कारण हुई जोकि वर्ष 2018-19 के दौरान काफी काफी घट गई। जबकि शिक्षा, खेल एवं संस्कृति शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियों में 2,931.40 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः माध्यमिक शिक्षा से प्राप्तियों में वृद्धि एवं सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली के कारण हुई। इसी प्रकार मुख्य सिंचाई से प्राप्तियों में 143.08 प्रतिशत की वृद्धि सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली के कारण हुई।

सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली को अनियमित तरीके से प्राप्त शीर्ष के तहत जमा करने के संबंधी मामले की चर्चा कंडिका 1.3.5 में की गई है।

1.3.2 भारत सरकार से सहायता-अनुदान

भारत सरकार द्वारा सहायता-अनुदानों के विमुक्ति की प्रवृत्ति तालिका 1.12 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.12: भारत सरकार द्वारा विमुक्त घटक-वार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 ¹⁵	2018-19 ¹⁰
गैर-योजना अनुदान	1,780.26	1,685.82	1,875.29	-	-
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	4,914.69	4,950.18	6,792.89	-	-
केंद्रीय योजना स्कीम के लिए अनुदान	83.56	50.90	78.01	-	-
केंद्रीय प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान	614.17	650.74	515.16	-	-
केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	-	-	-	7,985.24	6,996.85
वित्त आयोग अनुदान	-	-	-	1,583.03	1,059.89
अन्य अनुदान	-	-	-	1,844.02	1,178.78
कुल	7,392.68	7,337.64	9,261.35	11,412.29	9,235.52
पिछले वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	82.00	(-)0.74	26.21	23.22	(-)19.07
राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष कुल अनुदान की प्रतिशतता	23.42	18.06	19.68	21.63	16.45

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19

भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं जैसे कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (₹ 528 करोड़), स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) (₹ 249 करोड़) और स्थानीय निकायों की मूल अनुदान (₹ 538 करोड़) के लिए कम अनुदान मिलने के कारण वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के अनुदान ₹ 11,412.29 करोड़ से घटकर वर्ष 2018-19 में ₹ 9,235.52 करोड़ हुई है।

¹⁵ 2017-18 के पश्चात भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से संबंधित उप-मुख्य शीर्ष एवं उसकी व्याख्या बदल गई। अतः, यह तालिका में अलग से दर्शाया गया है।

1.3.3 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

विगत पाँच वर्षों के केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.13 में दर्शायी गयी हैं।

तालिका 1.13: केन्द्रीय कर हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सी.ए.जी.आर.
केन्द्रीय कर हस्तांतरण (सी.टी.टी.)	9,487	15,969	19,142	21,144	23,906	25.99
राजस्व प्राप्तियों में सी.टी.टी. का अंश	30.06	39.30	40.68	40.08	42.57	-

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष के सापेक्ष 2018-19 में सी.टी.टी. में वृद्धि मुख्यतः केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 5,601 करोड़) तथा कॉरपोरेशन टैक्स (₹ 1,838 करोड़) के अंतरण के कारण था। 2017-18 में 40.08 प्रतिशत के विरुद्ध 2018-19 के दौरान सी.टी.टी. राज्य की राजस्व प्राप्तियों का 42.57 प्रतिशत था।

वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) अधिनियम लागू किया जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 के अनुसार केंद्र सरकार पाँच वर्ष के लिए राज्यों में वस्तु एवं सेवा कर के कार्यान्वयन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए राज्यों को मुआवजा देगी। राज्यों के देय मुआवजे की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित अंतिम राजस्व आँकड़ों की प्राप्ति के बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए की जाएगी। जी.एस.टी. में आत्मसात करों का एक आधार वर्ष (2015-16) राजस्व आँकड़ा जी.एस.टी. अधिनियम के तहत तय किया गया। झारखण्ड के मामले में, आधार वर्ष (2015-16) के दौरान राजस्व ₹ 6,410.51 करोड़ था। किसी भी वर्ष हेतु एक राज्य में अनुमानित राजस्व उस राज्य के आधार वर्ष राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू कर निकाला जाएगा।

वर्ष 2018-19 का अनुमानित राजस्व आधार वर्ष के आँकड़े के अनु'प ₹ 9,497.45 करोड़ था जिसके वि'द्ध 2018-19 के दौरान जी.एस.टी. के अंतर्गत राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति ₹ 8157.62¹⁶ करोड़ था। भारत सरकार ने वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व संग्रहण को सुरक्षित करने हेतु ₹ 1,029 करोड़ का क्षतिपूर्ति प्रदान किया। हालाँकि, फरवरी तथा मार्च 2019 से संबंधित क्षतिपूर्ति 2018-19 प्रदान नहीं किया गया। अतः, अनुमानित राजस्व ₹ 9497.46 करोड़ के विरुद्ध एस.जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी. संग्रहण और क्षतिपूर्ति ₹ 9186.62 करोड़ था जिसके कारण ₹ 310.84 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

¹⁶ एस.जी.एस.टी.: ₹ 7171.72 करोड़ एवं आई.जी.एस.टी. का अस्थायी आवंटन ₹ 985.90 करोड़ को सम्मिलित

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का अग्रिम संविभाजन और वस्तु एवं सेवा कर मुआवजे के वि'द्ध इसका समायोजन

एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17 के अंतर्गत राज्य सरकारों के बीच एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर का संविभाजन भारत सरकार को करना है। राज्य कर प्रभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने ₹ 985.90 करोड़ के संविभाजन का अनंतिम/अग्रिम भुगतान इस शर्त पर संस्वीकृत किया (मार्च 2019) कि यह राशि भविष्य आई.जी.एस.टी. भुगतान में समायोजित होगी।

1.3.4 बकाया राजस्व

31 मार्च 2019 तक, राजस्व के संग्रह में ₹ 6,522.67 करोड़ (वाणिज्य कर विभाग एवं भ-राजस्व विभाग) बकाया था, जिसमें से ₹ 1,469.97 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक अवधि से बकाया थी। अग्रतर, ₹ 1,802.90 करोड़ न्यायालय तथा अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक दिया गया था। अन्य विभागों से राजस्व बकाया संबंधी सूचना प्रस्तुत नहीं की गई (फरवरी 2020)। 31 मार्च 2019 को कुल राजस्व बकाया 2017-18 के दौरान 31.47 प्रतिशत के विरुद्ध राज्य के अपने संसाधनों का 28.35 प्रतिशत था।

1.3.5 लघु शीर्ष - 913 के अंतर्गत अनियमित जमा

वर्ष 2018-19 के दौरान राजस्व शीर्ष के तहत 37 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लघु शीर्ष '913- सहायता अनुदान के अप्रयुक्त शेष की वसूली' के तहत ₹ 1403.12 करोड़ (सहायता अनुदान का अप्रयुक्त शेष और अप्रयुक्त योजना निधि) जमा की गई। इस प्रकार जमा किये गये राशि का केन्द्र प्रायोजित योजना एवं राज्य योजना में विभाजन उपलब्ध नहीं था। जमा की गई राशि वास्तविक राजस्व नहीं होने के कारण राजस्व प्राप्ति में शामिल करने से राज्य का राजस्व अधिक्य उस स्तर तक अत्योक्त हुआ।

1.4 पूँजीगत प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त, राज्य ने पूँजीगत प्राप्तियाँ भी प्राप्त किया, जिसमें सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की वसूली, वित्तीय संस्थानों से सरकार के आंतरिक उधार तथा भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं। 2014-19 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियों के विवरण तालिका 1.14 में दिये गये हैं।

तालिका 1.14 : वृद्धि की प्रवृत्तियाँ और प्राप्तियों का संयोजन

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत प्राप्तियाँ (पूँ.प्रा.)	6,723.00	13,276.00	7,120.00	8,204.00	7,851
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	25.00 ¹⁷	0.00
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	33.00	31.00	38.00	42.00	47.47
लोक ऋण प्राप्तियाँ	6,690.00	13,245.00	7,081.00	8,137.00	7,804
ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	42.30	98.00	(-)47.00	15.00	(-)4.10
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों के वृद्धि की दर (प्रतिशत)	43.48	(-)6.06	22.58	76.32	(-)29.00

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य की पूँजीगत प्राप्तियाँ 4 प्रतिशत तक मुख्यतः बाजार ऋण में कम उधार के कारण कम हुई। उज्जवल ऊर्जा अश्योरेंस योजना (उदय) बॉण्ड के अंतर्गत ₹ 5,553.37 करोड़ एकमुश्त उधार लेने के कारण 2015-16 में ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ काफी अधिक थीं। 2015-16 के बाद उदय बॉण्ड पर कोई उधार नहीं लिया गया था।

1.4.1 ऋणों एवं अग्रिमों से वसूलियाँ

विगत पाँच वर्षों के दौरान दिए गए ऋणों एवं की गयी वसूलियों के विवरण नीचे तालिका में दिये गये हैं :

तालिका 1.15: ऋण एवं अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋणों का आरंभिक शेष	7,947	8,738	16,187	17,482 ¹⁸	19,292
दिये गये ऋण	824	7,480	1,335	1,852	1,485
की गई वसूली	33	31	39	42	47
ऋणों का अंतिम शेष	8,738	16,187	17,483	19,292	20,730

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले ऋणों और अग्रिमों का प्रमुख प्राप्तकर्ता ऊर्जा कम्पनियाँ थी, लेकिन इन कंपनियों द्वारा कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया, जिससे 31 मार्च 2019 के अंत में ₹ 19,857.29 करोड़ का बकाया हो गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड का जनवरी 2014 में विभाजन से पूर्व ₹ 7,222.18 करोड़ का बकाया था जिसे अंतिम निष्पादन हेतु सरकारी खाते में रखा गया था जो ऊर्जा कम्पनी के कुल बकाया ऋण में शामिल था। 2018-19 के दौरान, दो¹⁹ ऊर्जा कम्पनी को ₹ 1,413.09 करोड़ का नया ऋण दिया गया। उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए ₹ 47 करोड़ की वसूली मुख्य रूप से सरकारी सेवकों को दिए गए ऋण व अग्रिमों से थी।

¹⁷ 2017-18 के दौरान परिसंपत्तियों के विनिवेश के कारण ₹ 25 करोड़ की पूँजीगत प्राप्तियाँ थी।

¹⁸ पूर्णांक किये जाने के कारण समायोजित।

¹⁹ झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड: ₹ 659.41 करोड़ और झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड: ₹ 753.68 करोड़

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति

राज्य सरकार का आंतरिक ऋण 2014-19 के दौरान ₹ 6,537 करोड़ तथा ₹ 7,531 करोड़ के बीच घटता-बढ़ता रहा। वर्ष 2015-16 के दौरान यह उदय बॉन्ड पर लिए गए उधार के कारण ₹ 13,080 करोड़ था। वर्ष 2015-16 के बाद उदय बॉन्ड पर राज्य द्वारा कोई कर नहीं दिया गया।

तालिका 1.16: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्ति की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार का आंतरिक ऋण	6,537	13,080	6,847	7,905	7,531 ²⁰
कुल लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	19,809	33,843	19,193	25,205	22,224
कुल लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के प्रतिशत के रूप में	33.00	38.65	35.67	31.36	33.88

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य द्वारा निवेशों पर प्रतिफल की तुलना में उच्चतर ब्याज दर पर लिये गये उधार के प्रभाव की चर्चा कंडिका 1.8.3 में की गई है।

1.5 लोक लेखा प्राप्ति

लोक लेखाओं के लेन-देन राज्य विधानसभा के वोट का विषय नहीं होते हैं। संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत तक राज्य के लोक लेखाओं का शेष तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका 1.17: लोक लेखा प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक लेखा प्राप्ति	20,189	29,037	22,052	27,833	25,410
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	843	830	873	1,016	1,120
आरक्षित निधि	308	522	453	401	421
जमा व अग्रिम	12,182	19,499	11,145	16,020	13,182
उंचत तथा विविध	18	161	300	-163	39
प्रेषण	6,838	8,025	9,281	10,559	10,648

स्रोत झारखण्ड :सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

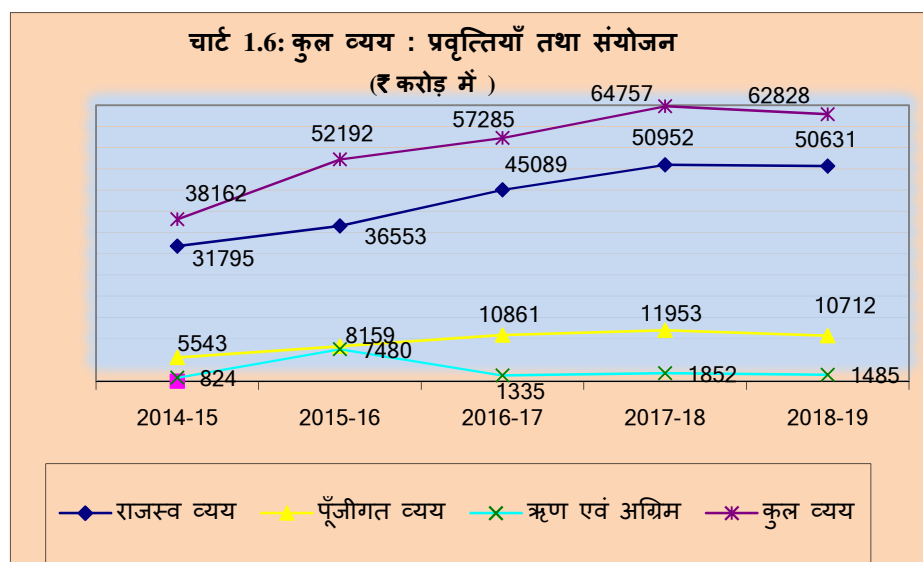
पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान जमा और अग्रिम में कमी मुख्य रूप से उर्जा कंपनियों के व्यक्तिगत बही खातों के क्रेडिट में उल्लेखनीय कमी के कारण राज्य बिजली बोर्ड कार्यकारी निधि (₹ 2,145 करोड़ से) के रूप में दर्ज की गई थी।

²⁰ मुख्य शीर्ष- 6003 के अंतर्गत बाजार ऋण ₹ 5,509 करोड़, वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण ₹ 2,022 करोड़ लेखाबद्ध किया गया।

1.6 संसाधनों के अनुप्रयोग

व्यय के संयोजन एवं वृद्धि

चार्ट 1.6 विगत पाँच वर्षों (2014-19) में कुल व्यय की प्रवृत्तियों तथा इसके संयोजन को दर्शाता है।



स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

1.6.1 पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.)

पूँजीगत व्यय में वर्ष 2014-18 के दौरान नियमित वृद्धि हुई लेकिन 2018-19 में कुल ₹ 1,241 करोड़ की कमी पाई गई जो ₹ 11,953 करोड़ से घटकर ₹ 10,712 करोड़ हुई।

पूँजीगत व्यय का वृहत हिस्सा आर्थिक सेवाओं (₹ 8,305 करोड़) पर था। परिवहन (₹ 3,871 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 2,461 करोड़) और सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण (₹ 1,476 करोड़) पर व्यय को प्राथमिकता दी गई। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में, परिवहन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण पर पूँजीगत व्यय में वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 1,271 करोड़ तथा ₹ 213 करोड़ की कमी हुई। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर पूँजीगत व्यय में भी पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 217 करोड़ की कमी हुई है।

देखा गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत अनुभाग में आबंटन (₹ 12,306 करोड़) 2017-18 के दौरान आबंटन (₹ 12,738 करोड़) से ₹ 432 करोड़ से कम था। वर्ष 2018-19 के दौरान पूँजीगत अनुभाग में कुल आबंटन में से ₹ 1,594 करोड़ अप्रयुक्त था। बचत का प्रमुख भाग स्वर्णरेखा परियोजना (₹ 440 करोड़), छोटानागपुर और संथाल परगना सिंचाई परियोजना (₹ 137 करोड़), लघु सिंचाई परियोजना (₹ 153 करोड़), देवघर एयरपोर्ट के विकास एवं विमानपथ के निर्माण एवं विस्तारीकरण (₹ 75 करोड़) से संबंधित था।

1.6.2 राजस्व व्यय (रा.व्य.)

वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय (रा.व्य.) की कुल व्यय से प्रतिशतता लगभग एक समान ही रहा, जो वर्ष 2018-19 के दौरान बढ़कर 81 प्रतिशत हो गया। तथापि, राजस्व व्यय में स.रा.घ.उ. के प्रतिशत में वर्ष 2017-18 में 18.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 16.46 प्रतिशत हो गयी।

2018-19 के दौरान ₹ 50,631 करोड़ के कुल राजस्व व्यय में से ₹ 26,648 करोड़ स्थापना पर खर्च किए गए और ₹ 23,983 करोड़ राज्य और केंद्र की योजनाओं पर खर्च किए गए।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन एवं ब्याज भुगतान पर व्यय सम्मिलित है। तालिका 1.18 और चार्ट 1.7, 2014-19 के दौरान इन अवयवों पर व्यय की प्रवृत्ति प्रस्तुत करते हैं।

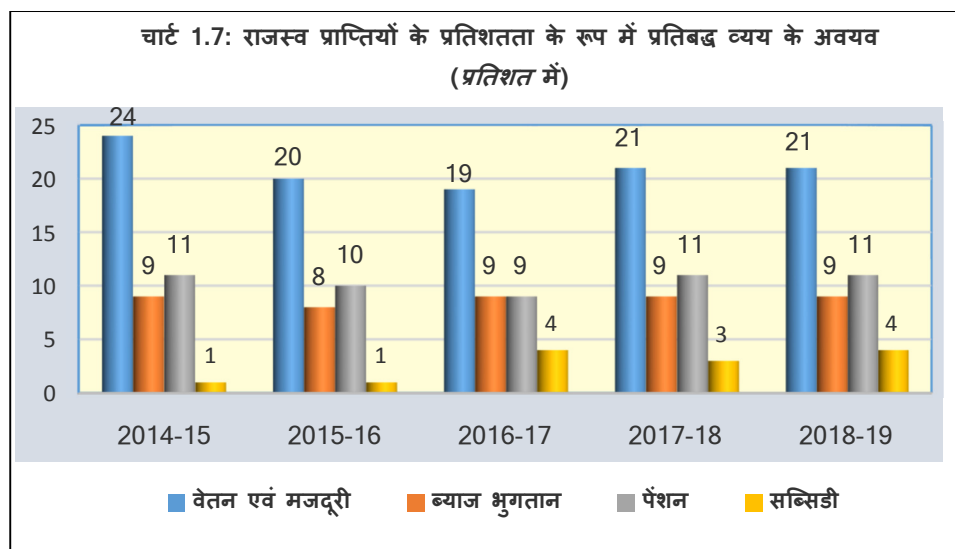
तालिका 1.18: वेतन एवं मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन तथा ब्याज भुगतानों पर व्यय के अवयव

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के अवयव	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वेतन ²¹ और मजदूरी, जिसमें	7,417(24)	8,218(20)	8,927 (19)	11,221(21)	12,138(21)
गैर योजना शीर्ष	7,193(23)	7,943(19)	8,649 (18)	10,790(20)	11,682(20)
योजना शीर्ष	224(1)	275(1)	278(1)	431(1)	456(1)
ब्याज भुगतान	2,929(9)	3,320(8)	4,172(9)	4,662(9)	4,852(9)
पेंशन	3,463(11)	3,990(10)	4,135(9)	5,913(11)	5,991(11)
सब्सिडी	246(1)	522(1)	1,859(4)	1,440(3)	2,092(4)
कुल	14,055(45)	16,050(39)	19,093(41)	23,236 (44)	25,073(45)

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे
कोष्ठक के आँकड़े राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशतता को इंगित करते हैं।

²¹ इसमें सहायता-अनुदान से भुगतान किया गया वेतन भी सम्मिलित है।



स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

वेतन

वर्ष 2017-18 के दौरान वेतन एवं मजदूरी (₹ 12,138 करोड़), ब्याज भुगतान (₹ 4,852 करोड़) और पेंशन (₹ 5,991 करोड़) सम्मिलित रूप से राजस्व व्यय का 45.39 प्रतिशत लेखापित किया गया और यह राजस्व प्राप्तियों का 40.93 प्रतिशत था।

पेंशन

1 दिसम्बर 2004 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी नवीन पेंशन योजना (न.पें.यो.) के अंतर्गत आते हैं जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करते हैं जिसके समतुल्य राशि राज्य सरकार द्वारा भी दी जाती है और सम्पूर्ण राशि राष्ट्रीय सुरक्षा भंडार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबंधक को अंतरित की जाती है।

2018-19 के दौरान, कर्मचारी अंशदान के रूप में ₹ 427.31 करोड़ एन.एस.डी.एल. में अंतरित किया गया। राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान एन.एस.डी.एल. में कर्मचारियों के योगदान के रूप में ₹ 426.55 करोड़ की कुल प्राप्ति में से ₹ 425.66 करोड़ हस्तांतरित किए और 2018-19 के अंत में सार्वजनिक खाते में ₹ 12.64 करोड़ का संतुलन छोड़ दिया (मुख्य शीर्ष 8342-117-परिभाषित योगदान पेंशन योजना) कर्मचारियों के योगदान के कम हस्तांतरण के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों को रा.पे.यो. के तहत एनएसडीएल द्वारा निवेशित शेष राशि उनके हक से वंचित कर दी गई है।

ब्याज भुगतान

पिछले वर्ष के सापेक्ष ब्याज भुगतान की वृद्धि दर 2017-18 में 11.70 प्रतिशत के विरुद्ध 4.10 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान, वर्ष 2017-18 (8.84 प्रतिशत) एवं 2018-19 (8.64 प्रतिशत) में एक समान ही रहा जो एफ एफ सी द्वारा 8.32 प्रतिशत की अनुशंसा से कुछ अधिक था। 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का नौ प्रतिशत था। 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान ब्याज भुगतान के मुख्य घटक तालिका 1.19 में दिये गये हैं:

तालिका 1.19: ब्याज भुगतान के मुख्य घटक

(₹ करोड़ में)

ऋण के घटक	31 मार्च 2018 को बकाया दायित्व	2017-18		31 मार्च 2019 को बकाया दायित्व	2018-19	
		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में		भुगतान किया गया ब्याज	भुगतान किया गया ब्याज बकाया शेष के प्रतिशत में
आंतरिक ऋण	48,682.31	4,330.05	8.89	53,799.09	4,494.03	8.35
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,162.28	116.18	5.37	2,232.86	123.20	5.52
लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	1,075.67	213.68	19.86	1,142.18	224.82	19.68
अन्य	14,906.70	1.77	0.01	19,920.91	9.92	0.05
कुल	66,826.96	4,661.68	6.98	77,095.04	4,851.97	6.29

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

सब्सिडी

वर्ष 2017-18 के दौरान, झारखण्ड सरकार ने मुख्य शीर्ष 3456-सिविल आपूर्ति (₹ 926 करोड़), 2801- पावर (₹ 595 करोड़) और 2401- फसल पैदावार (₹ 354 करोड़) के लिए ₹ 2,092²² करोड़ सब्सिडी के रूप में दिए। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान सब्सिडी में ₹ 652 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ सब्सिडी के कारण थी। सिंचाई के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई।

1.6.4 वृहत कार्यक्रम

2018-19 के दौरान, राज्य योजना (रा.यो.) अंतर्गत 35 मुख्य विशेष कार्यक्रमों के लिए ₹ 11,631.10 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया जिसके विरुद्ध ₹ 11,202.06 करोड़ का उपयोग किया गया। केंद्रीय योजना (कें.यो.) के अंतर्गत, वर्ष हेतु किये गये ₹ 9,084 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध ₹ 9,239 करोड़ का उपयोग किया गया।

²² वित्त लेखा 2018-19 का परिशिष्ट-II

वर्ष 2018-19 के दौरान रा.यो. तथा कें.यो. के अंतर्गत कुछ वृहत कार्यक्रमों पर हुए बजट प्रावधानों एवं वास्तविक व्यय तालिका 1.20 में दर्शाये गये हैं:

तालिका 1.20: वृहत कार्यक्रमों पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कार्यक्रमों के नाम	बजट प्रावधान	व्यय
राज्य योजना			
1	मुख्य सड़कें	2,742.80	2,733.15
2	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम -ग्रामीण सड़कों का निर्माण	1,417.64	1,404.86
3	संचरण हेतु झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड को ऋण	753.68	753.18
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	694.00	694.00
5	प्राथमिक घरेलू योजनाएँ	473.64	473.64
6	ग्रामीण स्वच्छता	469.72	331.47
7	इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	425.38	425.38
8	ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजना	371.64	371.64
केन्द्रीय योजना			
1	प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सहायता अनुदान (सी.एस.एस.)	248.15	248.15
2	शहरी कायाकल्प मिशन (सी.एस.एस.)	94.59	94.59
3	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	85.60	85.60
4	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)	43.89	43.89

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखा 2018-19 का परिशिष्ट-V

1.6.5 वित्तीय सहायता

2014-19 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अनुदान के विवरण तालिका 1.21 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.21: स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पंचायती राज्य संस्थाएँ (पं.रा.सं.)	3,378.42	3,407.48	2,533.77	1,270.13	2,937.69
शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)	1,619.77	1,830.77	2,961.14	1,155.11	1,748.50
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3,643.86	3,987.54	0.00	0.00	0.00
स्वायत्त निकाय	2,512.95	5,480.60	7,942.59	11,431.05	8,853.25
गैर-सरकारी संस्थाएँ	684.99	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य	564.03	184.53	6,894.52	6,857.70	4,436.37
कुल	12,404.02	14,890.92	20,332.02	20,713.99	17,975.81
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	39.01	40.74	45.09	40.65	35.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे का विवरणी-10

वर्ष 2018-19 के दौरान पी.आर.आई. को वित्तीय सहायता ₹ 1,667.56 करोड़ से बढ़ा जो मुख्यतः 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर सामान्य मूलभूत अनुदान के लिए ₹ 604.12 करोड़ की सहायकता एवं एम.एन.पी के तहत पी.एम.जी.एस.वाई. के उन्नयन एवं सुदृढीकरण के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान के कारण था। वर्ष के दौरान यू. एल. बी. को सहायता अनुदान में

वृद्धि मुख्यतः जल आपूर्ति, नाली निर्माण और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन (₹ 535 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

1.6.5.1 शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.)

राज्य में 50 श.स्था.नि. (नगर निगम-9, नगर परिषद-21, नगर पंचायत-19, तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति-1) हैं। श.स्था.नि. को उपलब्ध करायी गयी निधियों के विवरण निम्न तालिका 1.22 में दिये गये हैं:

तालिका 1.22: स्थानीय शहरी निकायों को उपलब्ध करायी गयी निधियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152	2,28,16
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631	2,15,02
स्थानीय शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	1,620	1,831	2,961	1,155	1,749	9,316
वित्तीय सहायता राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत में	5.13	4.51	6.29	2.19	3.11	4.08
वित्तीय सहायता राजस्व व्यय के प्रतिशत में	5.10	5.01	6.57	2.27	3.45	4.33
स्वयं का संग्रह ²³	8.96	14.99	60.09	184.55	240.46 ²⁴	509.05

स्रोत : संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

द्वितीय राज्य वित्त आयोग (दिसम्बर 2009 से दिसम्बर 2014) ने शहरी स्थानीय निकायों को निधि हस्तांतरण करने के संबंध में कोई अनुशंसा नहीं किया था। तृतीय राज्य वित्त आयोग (जनवरी 2014 से जनवरी 2019) ने इस संबंध में कोई अंतरिम अनुशंसा नहीं किया है। शहरी विकास विभाग ने 'झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 (परिशिष्ट 1.4 भाग-क) के अंतर्गत दिये गये 18 कार्यों तथा शक्तियों के हस्तांतरण पर किये गये कई लेखापरीक्षा पूछताछ पर प्रतिक्रिया नहीं दिया है।

राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को स्थानीय निकायों (स्थानीय शहरी निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं) के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण (टी.जी.एस.) का दायित्व सौंपा है (अक्टूबर 2011)। तदनुसार, बिहार एवं उड़ीसा स्थानीय निधि लेखापरीक्षा अधिनियम, 1925 को मार्च, 2012 में संशोधित कर स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के निदेशक (डी.एल.एफ.ए.) द्वारा लेखापरीक्षा करने का प्रावधान किया गया जिन्हें भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा टी.जी.एस. उपलब्ध कराना अपेक्षित था।

²³ नगर विकास विभाग द्वारा सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी। तथापि, विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के दौरान सूचना प्राप्त की गयी।

²⁴ नगर विकास विभाग द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की अपने स्रोतों से संग्रहित निधियों से संबंधित सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी। हालाँकि, 42 शहरी स्थानीय निकायों की सी. ए. प्रतिवेदन से सूचना प्राप्त की गई। तथापि 8 शहरी स्थानीय निकायों बचरा नगर पंचायत, बड़कीसराय नगर पंचायत, बासुकीनाथ नगर पंचायत, छत्तरपुर नगर पंचायत, डोमचक नगर पंचायत, गोमिया नगर पंचायत, हरिहरगंज नगर पंचायत, महगामा नगर पंचायत की सूचना उपलब्ध नहीं थी।

डी.एल.एफ.ए. को कार्यशील बनाने के लिए राज्य सरकार ने 22 पद सृजित (मार्च 2013) किया एवं नवम्बर 2014 में डी.एल.एफ.ए. नियुक्त किया। अगस्त 2016 में डी.एल.एफ.ए. ने सूचित किया कि तीन उप लेखानियंत्रक और 14 लेखापरीक्षा पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। डी.एल.एफ.ए. ने पुनः सितम्बर 2016 में यह भी सूचित किया कि वे शहरी स्थानीय निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा संचालित कर रहे हैं। तथापि, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) नमूना जाँच के आधार पर स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

वर्ष 2018-19 के दौरान 11 शहरी स्थानीय निकायों की नमूना जाँच लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा, तकनीकी मार्गदर्शन तथा पर्यवेक्षण व्यवस्था के तहत डी.एल.एफ.ए की निरीक्षण प्रतिवेदन का सत्यापन किया गया तथा अनुपालना के अनुरोध के साथ निदेशक डी.एल.एफ.ए को सुझाव दिए गए (अप्रैल 2019)। जवाब 31 जनवरी 2010 तक प्रतीक्षित है।

1.6.5.2 पंचायती राज संस्थाएँ

राज्य में 4,689 पंचायती राज संस्थाएँ²⁵ हैं। 2014-19 के दौरान पंचायती राज संस्थाओं को जारी निधियों के विवरण नीचे तालिका 1.23 में दिये गये हैं।

तालिका 1.23: पंचायती राज संस्थानों को जारी निधि

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)	31,565	40,638	47,054	52,756	56,152	2,28,165
राज्य का राजस्व व्यय (रा.व्य.)	31,795	36,553	45,089	50,952	50,631	2,15,020
पं.रा.सं. को वित्तीय सहायता	3,378	3,407	2,534	1,270	2,938	13,527
वित्तीय सहायता रा.प्रा. के प्रतिशत में	10.70	8.38	5.39	2.41	5.23	5.93
वित्तीय सहायता रा.व्य. के प्रतिशत में	10.62	9.32	5.62	2.49	5.80	6.29

स्रोत संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

राज्य सरकार ने अक्टूबर 2012 में पंचायतों को निधियों के अंतरण का आदेश जारी किया। जैसा कि **परिशिष्ट 1.4 भाग-ख** में दर्शाया गया है। कुल नियत 29 कार्यों में से 16 कार्यों को अगस्त 2015 तक या तो सम्पूर्ण या अंशतः पं.रा.सं. को हस्तांतरित कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 'झारखण्ड पंचायती राज (बजट एवं लेखा) विनियमन 2010' अधिसूचित किया (मार्च 2011) तथा पं.रा.सं. में तदनुसार लेखांकन किया जाता है।

निदेशक, डी.एल.एफ.ए द्वारा पं.रा.सं. पर त.मा.प. व्यवस्था के तहत डी.एल.एफ.ए का कोई भी निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रदान नहीं किया गया।

²⁵ 24 जिला परिषद्, 263 पंचायत समितियाँ और 4,402 ग्राम पंचायतें।

1.7 व्यय की गुणवत्ता

2018-19 में विकासात्मक व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय) कुल व्यय का 71 प्रतिशत था जबकि यह वर्ष 2017-18 में 73 प्रतिशत था।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

2014-15 को आधार वर्ष मानते हुए 2018-19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता को तालिका 1.24 विश्लेषित करता है।

तालिका 1.24: 2014-15 और 2018-19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता*	कु.व्य./ स.रा.घ.उ.	वि.व्य. ²⁶ / कु.व्य.	आ.से.व्य. /कु.व्य.	सा.प्र.व्य./ कु.व्य.	पूँ.व्य./ कु.व्य.	शिक्षा/ कु.व्य.	स्वास्थ्य/ कु.व्य.
सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014-2015	15.99	68.51	32.36	36.15	14.02	16.54	4.92
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2014-2015	17.46	71.26	37.60	33.66	14.52	15.27	4.24
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत (अनुपात) 2018-19	16.05	67.04	30.45	36.59	14.28	14.99	5.07
झारखण्ड राज्य का औसत (अनुपात) 2018-19	20.43	70.56	38.06	32.51	17.05	13.05	5.41

कु.व्य.: समग्र व्यय (कुल व्यय), वि.व्य.: विकास व्यय, सा.प्र.व्य.: सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय, आ.से.व्य.: आर्थिक सेवा व्यय पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय

स्रोत: स.रा.घ.उ. जैसा कि सी.एस.ओ. के वेबसाइट पर 28 अगस्त 2018 को उपलब्ध।

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है 2018-19 में कुल व्यय से विकास व्यय एवं आर्थिक व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था। तथापि, सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय एवं शिक्षा प्रक्षेत्र व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के इन पर किये गये व्यय से कम थे।

अनुशंसा: सरकार को शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर बल देते हुए सामाजिक प्रक्षेत्र व्यय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

1.7.2 व्यय के उपयोग की दक्षता

तालिका 1.25 पिछले वर्षों के दौरान बजट की राशि और व्यय के सम्मुख वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य के कुल व्यय के सापेक्ष विकास व्यय की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करता है। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान विकासात्मक व्यय के सभी तीन अवयवों में हास हुई। जलापूर्ति स्वच्छता, आवास और शहरी विकास (₹1,385 करोड़) और उर्जा (₹1,840 करोड़) पर कम खर्च के कारण राजस्वव्यय में कमी हुई जो कुछ अन्य सेवाओं में वृद्धि के बराबर थी।

परिवहन पर कम व्यय (₹ 1,271 करोड़) के कारण विकास पूँजी व्यय में कमी हुई।

²⁶ राजस्व विकास व्यय, पूँजीगत विकास व्यय और ऋण एवं अग्रिम सहित व्यय को बाँटा गया।

तालिका 1.25: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
					बजट आकलन ²⁷	वास्तविक
विकास व्यय						
विकास राजस्व व्यय	21,171(55)	24,551(47)	32,065(56)	34,394(53)	43,950(58)	32,975(52)
विकास पूँजीगत व्यय	5,217(14)	7,588(15)	10,271(18)	11,146(17)	12,102(16)	9,920(16)
विकास ऋण एवं अग्रिम	807(2)	7,431 ²⁸ (14)	1,283(2)	1,796(3)	1,477(2)	1,439(2)
कुल	27,195	39,570	43,619	47,336	57,529(76)	44,334(71)
विकास व्यय की वृद्धि	48.8	45.5	10.2	8.8	-	(-)6.30

स्रोत:- झारखण्ड सरकार के 2018-19 के वित्त लेखे और बजट प्रकाशन ।

कोष्ठक में आँकड़ा कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है। (रा.व्य.+ पूँ.व्य.+ ऋ. एवं अग्रि.)

1.7.3 चयनित सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.26 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय की दक्षता की प्रस्तुत करता है।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में किये गये व्यय की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक ढाँचा	2017-18			2018-19		
	कु.व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा		कु. व्य. से पूँ.व्य. का अनुपात	रा.व्य. में हिस्सा	
		वे. एवं म.	सं. व र.*		वे. एवं म.	सं. व र.
सामाजिक सेवायें (सा.से.)						
सामान्य शिक्षा	0.01	49.72	0.00	0.00	54.36	0.00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.83	32.17	0.00	8.05	27.68	0.00
जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास व शहरी विकास	10.14	3.33	0.10	14.57	5.05	0.43
कुल (सा.से.)	7.23	25.94	0.25	7.91	28.59	0.62
आर्थिक सेवायें (आ.से.)						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	23.15	18.50	0.05	17.91	29.95	0.09
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	80.92	95.85	1.5	78.71	97.12	0.00
विद्युत और ऊर्जा	0.00	0.00	1.47	0.00	0.00	1.44
परिवहन	90.64	25.52	27.53	90.91	35.39	29.15
कुल (आ.से.)	36.71	10.68	2.84	34.74	11.76	1.10
कुल (सा.से.+आ.से.)	23.55	19.36	1.37	22.38	21.35	0.82
कु.व्य.: उस प्रक्षेत्र का कुल व्यय; पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे.एवं म.: वेतन एवं मजदूरी; सं.व.र. संचालन व रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत दर्ज वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।						

कु.व्य.: उस प्रक्षेत्र का कुल व्यय; पूँ.व्य.: पूँजीगत व्यय; रा.व्य.: राजस्व व्यय; वे.एवं म.: वेतन एवं मजदूरी; सं.व.र.: संचालन व रख-रखाव; वित्त लेखे के अनुसार यह विस्तृत शीर्ष 05- रखरखाव एवं मरम्मत के अंतर्गत दर्ज वास्तविक व्यय को प्रस्तुत करता है।

स्रोत: झारखण्ड सरकार का वित्त लेखा 2018-19

जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है, सामान्य शिक्षा में राजस्व व्यय से वेतन का अनुपात 2017-18 में 49.72 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 54.36

²⁷ बजट अनुमान और वास्तविक दोनों सकल आँकड़े हैं।²⁸ उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना के अंतर्गत डिस्कॉम को ₹ 5,553 करोड़ का ऋण दिया गया।

प्रतिशत हो गया, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में राजस्व व्यय से वेतन 2017-18 में 32.17 प्रतिशत से घट कर 2018-19 में 27.68 प्रतिशत हो गया।

आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि व संबद्ध गतिविधियाँ तथा परिवहन के अंतर्गत वेतन का अनुपात राजस्व व्यय 2017-18 में 18.50 और 25.52 और 2018-19 में 29.95 और 35.39 क्रमशः काफी वृद्धि हुई।

1.8 सरकारी व्यय एवं निवेशों का वित्तीय विश्लेषण

यह भाग सरकार के निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का व्यापक वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई योजनाओं के वित्तीय परिणाम

13वें एवं 14वें वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यावहारिकता का मूल्यांकन करने हेतु इन पर लागत वसूली दर निर्धारित किया था। तथापि, झारखण्ड सरकार द्वारा किसी भी सिंचाई योजना को वाणिज्यिक घोषित नहीं किया गया।

वित्त लेख के परिशिष्ट-VIII (i) के अनुसार ₹ 1,759.45 करोड़ का पूँजीगत परिव्यय 11 सिंचाई परियोजनाओं को प्रदान किया गया और 2018-19 के दौरान 23 परियोजनाओं का कार्यचालन व्यय एवं रखरखाव में 1,480.90 करोड़ खर्च किया गया।

अग्रतर, वर्तमान वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं से कुल ₹ 38.04²⁹ करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त किया गया।

अनुशंसा : राज्य सरकार को वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार लागत वसूली हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक घोषित करने हेतु उपाय शुरू करनी चाहिये।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएँ

अपूर्ण परियोजनाएँ जिन्हें 31 मार्च 2019 या इससे पूर्व पूर्ण करना था से संबंधित विभाग-वार सूचना तालिका 1.27 में दी गयी है।

तालिका 1.27: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूप रेखा

(₹ करोड़ में)

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	परियोजनाओं की अनुमानित लागत	31.3.2019 तक संचयी व्यय
भवन निर्माण	30	864.53	549.25
पेय जल एवं स्वच्छता	18	203.18	139.55
पथ निर्माण	73	2,227.40	1,589.39
ग्रामीण कार्य	185	460.50	293.80
जल संसाधन	104	1,639.19	1,269.14
कुल	410	5,394.80	3,841.13

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेख 2018-19 का परिशिष्ट IX

²⁹ अन्य राजस्व

अपूर्ण कार्य पर निधियों का अवरोध व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। परियोजनाओं/कार्यों को पूरा किये जाने में विलंब न केवल लागत वृद्धि के जोखिम को आमंत्रित करता है बल्कि राज्य को इच्छित लाभ से वंचित भी करता है।

उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये 410 परियोजनाओं में से, केवल 11³⁰ परियोजनाओं का संशोधित लागत उपलब्ध कराया गया जिसके अनुसार इन 11 परियोजनाओं का ₹ 274.79 करोड़ का अनुमानित लागत परियोजनाओं के समय पर पूर्ण नहीं होने के कारण बढ़कर ₹ 1,095.40 करोड़ हो गया। चूँकि विभागों द्वारा शेष परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए वित्त लेखे में इनकी संशोधित लागत नहीं दर्शाया गया और सुनिश्चित करने योग्य नहीं था।

इस प्रकार, परियोजना को समय पर पूरा नहीं करने के परिणामस्वरूप न केवल लागत में भारी वृद्धि हुई, बल्कि भूमि की सिंचाई का अपेक्षित लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ (फरवरी 2020)।

अनुशंसा: राज्य के लोक निर्माण विभाग को परियोजनाओं को समय से पूरा किया जाना सुनिश्चित करने हेतु एक क्रियाविधि विकसित करनी चाहिए। सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संशोधित अनुमान प्राथमिकता पर तैयार व अनुमोदित किया जाना चाहिये ताकि इन परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु आवश्यक निधियों का यथार्थवादी आकलन हो।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य के 31 मार्च 2019 को समाप्त वार्षिक लेखे के अनुसार नवम्बर 2000 में राज्य की स्थापना के बाद से सरकार ने ₹ 432.87 करोड़ का निवेश एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (₹ 45.73 करोड़), 17 सरकारी कम्पनियों (₹ 226.80 करोड़) एवं 21 को-ऑपरेटिव, निगमों एवं समितियों (₹ 160.34 करोड़) में किया (तालिका 1.28)। तथापि, 2016-17 के दौरान सा.क्षे.उ. लेखाओं और राज्य के संस्वीकृति आदेशों के सत्यापन के दौरान उद्घटित हुआ कि गलत बजटीय वर्गीकरण अर्थात् उपयुक्त लघुशीर्ष के अंतर्गत निवेश नहीं किये जाने तथा शेयर पूंजी में निवेश को सहायता अनुदान के रूप में दिखाये जाने के कारण 2000-2016 के दौरान सरकारी लेखाओं में निवेश को ₹ 124.54 करोड़ कम दर्शाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद राज्य के वित्त विभाग ने 2018-19 के अंत में चार कंपनियों से संबंधित ₹ 65 करोड़³¹ की निवेश राशि को समाशोधित और ठीक किया जिसने चालू वित्त वर्ष

³⁰ पुनासी डैम, चाडील डैम, इजरी नदी पर पुल, बहादुरपुर कसमर खैरा चतर रोड, सोनाहातु मिलन चौक रोड, त्रिवेणी वियर स्कीम, हैड रेगुलेटर निर्माण, सल्बानी लघु सिंचाई, खरकई रिजर्वायर मुख्य नहर (के.आर.एम.सी.), अघारमा ग्रामीण पाइप जल आपूर्ति योजना, प्रतापपुर ग्रामीण जल आपूर्ति योजना

³¹ झारखंड पहाड़ी क्षेत्र उद्वहन सिंचाई निगम ₹ 5 करोड़, झारखंड शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ₹ 35 करोड़, झारखंड सिल्क टेक्सटाइल व हस्तशिल्प विकास निगम ₹ 10 करोड़ और झारखंड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड ₹ 15 करोड़

के अंत में पाँच संस्थाओं के विरुद्ध ₹ 59.54 करोड़³² के बिना असमायोजित निवेश को घटा दिया।

तालिका 1.28: निवेशों पर लाभांश

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	241.25	261.70	320.83 ³³	376.87	432.87
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	शून्य	0.47	शून्य	शून्य	शून्य ³⁴
प्रतिफल (प्रतिशत में)	शून्य	0.18	शून्य	शून्य	शून्य
सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज का औसत दर (प्रतिशत में) ³⁵	7.22	6.63	6.76	6.98	6.29
ब्याज दर और प्रतिफल में अन्तर (प्रतिशत में)	7.22	6.45	6.76	6.98	6.29
बाजार से लिये गये उधार के ब्याज दर और प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर के कारण अनुमानित हानि	17.42	16.88	21.69	26.31	27.23

स्रोत : 2018-19 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे - विवरण 19

विगत पाँच वर्षों में राज्य सरकार ने सरकार के लिये गये उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 109.53 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया, जिसमें केवल 2018-19 में ₹ 27.23 करोड़ का अनुमानित नुकसान था। अपने निवेशों पर कोई प्रतिफल नहीं मिलने के बावजूद, राज्य सरकार ने 2018-19 के दौरान इक्विटी के रूप में राज्य के छः³⁶ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹ 41 करोड़ का निवेश किया।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकित किया कि पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा 14 नवम्बर 2000 तक दामोदर वैली कारपोरेशन (₹ 1,781.55 करोड़) और तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (₹ 100 करोड़) को उत्तरवर्ती बिहार तथा झारखण्ड राज्यों के बीच संविभाजित नहीं किया गया है।

1.8.4 राज्य सरकार द्वारा ऋण व अग्रिम

उपरोक्त संस्थाओं में शेयर निवेशों के अतिरिक्त, राज्य सरकार इन संस्थाओं में से अधिकांश को और उनके कर्मचारियों को ऋण व अग्रिम भी प्रदान करती रही है। तालिका 1.29 31 मार्च 2019 को बकाया ऋण व अग्रिमों तथा ब्याज प्राप्तियाँ के साथ-साथ पिछले पाँच वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों को प्रस्तुत करती है।

³² ग्रेटर राँची विकास प्राधिकरण ₹ 39.14 करोड़, झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड ₹2 करोड़, झारखंड मेडिकल एवं स्वास्थ्य आधारभूत संरचना विकास और क्रय निगम लिमिटेड ₹ 5 करोड़, झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ₹8.40 करोड़ और झारखंड राज्य खादयय एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड ₹5 करोड़

³³ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के साथ समाशोधन के बाद संशोधित राशि

³⁴ सिर्फ ₹ 15,000

³⁵ वर्ष के दौरान वर्गवार ब्याज भुगतान (आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण, इत्यादि) का ऋण के आरंभिक शेष से प्रतिशतता

³⁶ माइनोरिटी डेवलपमेंट एवं फाइनेंस कारपोरेशन (₹ 1 करोड़), रांची स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़) झारखंड अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़) झारखंड अर्बन ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 10 करोड़), झारखंड रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (₹ 5 करोड़) और झारखंड सेन्ट्रल रेलवे प्रोजेक्ट (₹ 5 करोड़)

तालिका 1.29: राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण व अग्रिम

(₹ करोड़ में)

ऋण/ब्याज प्राप्ति/ली गयी उधारों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋणों का आरंभिक शेष (₹ करोड़ में)	7,947	8,738	16,187	17,482 ³⁷	19,292
वर्ष के दौरान दिये गये अग्रिम की राशि (₹ करोड़ में)	824	7,480	1,335	1,852	1,485
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	33	31	39	42	47
वसूली, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2
अंतशेष	8,738	16,187	17,483	19,292	20,730
निवल योग (₹ करोड़ में)	791	7,449	1,297	1,809	1,438
कुल ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	15.72	4.33	3.88	87.66	14.72
ब्याज प्राप्ति, बकाया ऋण व अग्रिम के प्रतिशत में	0.20	0.05	0.02	0.50	0.08
सरकार के लिये गये उधार पर औसत ब्याज दर	7.22	6.63	6.76	6.98	6.29
बकाया ब्याज	875.44	903.98	1,009.2	1,044.09	1,236.12
बकाया ऋण और अग्रिम के प्रतिशत के रूप में बकाया	11.01	10.35	6.23	5.97	6.41

स्रोत : संबंधित वर्ष के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

मार्च 2019 के अंत तक कुल बकाया ऋणों (₹ 20,730 करोड़) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऊर्जा कम्पनी को (₹ 19,857 करोड़) और जलापूर्ति, स्वच्छता, भवन एवं शहरी विकास (₹ 729 करोड़) मुख्यतः बकाये थे।

मार्च 2019 के अंत तक ऋणदाता संस्थाओं का ऋण बकाया ₹ 2,715 करोड़ (मूलधन-₹ 1,479 करोड़ तथा ब्याज-₹ 1,236 करोड़) हो गया।

2011-12 में झारखण्ड राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (₹ 44 करोड़) को दिया गया ऋण पूँजीगत व्यय के बजाय राजस्व व्यय के तहत गलत बजटीय वर्गीकरण के कारण सरकारी लेखाओं में कम बताया गया। झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड (झा.रा.वि.बो.) को ₹ 7,222 करोड़ की राशि का ऋण सरकारी लेखाओं में बोर्ड से प्राप्य के रूप में दर्शाया जाना जारी है, यद्यपि बोर्ड जनवरी 2014 में अलग-अलग कंपनियों में विभाजित कर दिया गया था। इस प्रकार, राज्य की संपत्ति ₹ 7,222 करोड़ की सीमा तक बढ़ गई थी।

लेखा परीक्षा ने अग्रतर यह पाया कि 14 नवंबर 2000 (₹ 608 करोड़) से पहले तेनुघाट बिजली परियोजना के लिए बिहार के पूर्ववर्ती राज्य द्वारा किए गए ऋण बिहार और झारखण्ड के उत्तराधिकारी राज्यों के बीच विभाजित नहीं थे।

अनुशंसा: राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संस्थाओं में अपने निवेशों और ऋणों को तर्कसंगत बनाना चाहिए, ताकि निवेश और ऋणों पर प्रतिफल कम से कम सरकार की उधार लागत के बराबर हो।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

वर्ष के दौरान रोकड़ शेष एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेशों का विवरण तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

³⁷ लगभग होने के कारण समायोजित किया गया

तालिका 1.30: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2019 को अन्त शेष
(अ) सामान्य नगद शेष		
कोषागार में नगद	00	00
रिजर्व बैंक में जमा	(-)242.16	188.30
स्थानीय प्रेषण	00	00
कुल	(-)242.16	188.30
रोकड़ शेष निवेश लेखा में रखे गए निवेश	354.56	167.90
कुल (अ)	112.40	356.20
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ यथा लोक निर्माण विभागीय अधिकारी, वन विभागीय अधिकारी, जिला उपायुक्त	37.90	39.05
आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों को स्थाई अग्रिम	0.13	0.13
चिन्हित निधि में निवेश	0.00	400.00 ³⁸

स्रोत : झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे 2018-19

31 मार्च 2019 को कैश बैलेंस इनवेंस्टमेंट अकाउन्ट में शेष ₹ 167.90 करोड़ था और वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश पर ₹ 31.43 करोड़ ब्याज की प्राप्ति हुई। कर्णांकित निधि (एस.डी आर. एफ) से ₹ 400 करोड़ अनुसूचित कॉमर्शियल बैंकों में निवेश किया गया था।

लेखाओं में दर्शाए गए आँकड़ों {₹188.30 करोड़ (डेबिट)} और भारतीय रिजर्व बैंक {(₹ 16.49 करोड़ (क्रेडिट)) द्वारा सूचित आँकड़ों के बीच ₹ 171.81 करोड़ (शुद्ध डेबिट) का अंतर था। रिजर्व बैंक जमा शेष में इस अंतर को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), झारखण्ड द्वारा समाशोधन और आवश्यक सुधार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, रांची के समक्ष उठाया गया है।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्वों की वृद्धि एवं संयोजन

सरकारी लेखांकन प्रणाली में सरकारी स्वामित्व के अचल परिसंपत्तियाँ अर्थात् भूमि एवं भवनों के विस्तृत लेखांकन का प्रावधान नहीं है। तथापि, इन्हें सरकार के वित्तीय दायित्वों और वहन किये गये व्यय से सृजित परिसंपत्तियों के माध्यम से दर्शाया जाता है। 31 मार्च 2018 के तदनुरूप स्थिति से तुलना करते हुए **परिशिष्ट 1.5**,

³⁸ वित्तीय विभाग के प्रत्र संख्या 554, दिनांक 23.07.2019 द्वारा सूचना के आधार पर संशोधित ₹ 400 करोड़ राज्य आपदा विमोचन निधि से वर्ष 2012-13 के दौरान निवेश में शामिल किये गए।

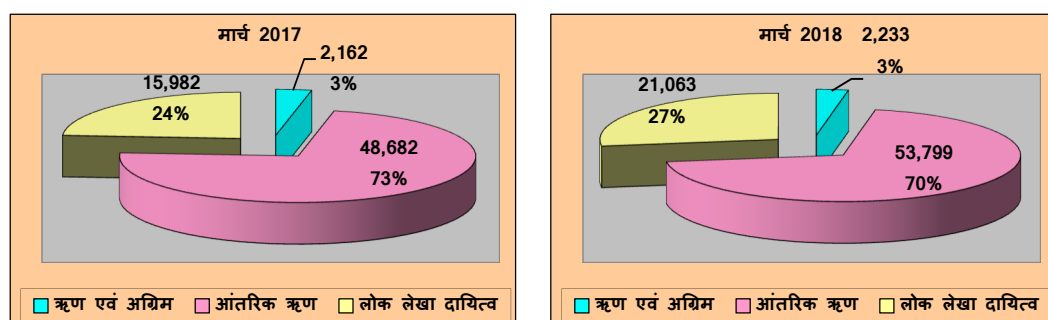
ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों का 31 मार्च 2019 का सार प्रस्तुत करता है। दायित्वों में जहाँ मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधि शामिल है, वहीं परिसंपत्तियों में मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष शामिल हैं।

झारखण्ड एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 राज्य के कुल दायित्वों को राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के अधीन दायित्व के रूप में परिभाषित करता है जिसमें केंद्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम, खुले बाजार से लिया गया उधार, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, अल्प बचतों के लोक लेखा शेष, आरक्षित निधि, जमा इत्यादि सम्मिलित है।

1.9.2 राजकोषीय दायित्व

राज्य के बकाये राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्तियाँ परिशिष्ट 1.3 में प्रस्तुत की गयीं हैं। 2017-18 एवं 2018-19 वर्षों के दौरान राजकोषीय दायित्व के संयोजन चार्ट 1.9 में प्रस्तुत किया गया है।

चार्ट 1.9 : मार्च 2018 एवं मार्च 2019 के अंत में बकाया राजकोषीय दायित्व का संयोजन (₹ करोड़ में)



स्रोत: 2017-18 और 2018-19 के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

लेखा और संबंधित दस्तावेजों के जांच के दौरान यह पाया गया कि वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने 2018-19 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 5,509 करोड़ की खुला बाजार उधार लेने की अनुमति दी। तदनुसार, राज्य सरकार ने 8 राज्य विकास ऋण 88.31 प्रतिशत से 8.84 प्रतिशत तक वार्षिक ब्याज दर के द्वारा राशि उधार ली।

तालिका 1.31: राजकोषीय दायित्व की प्रवृत्ति : आधारभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)

अवयव	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	सी.ए.जी.आर.
(अ) लोक ऋण						
आंतरिक ऋण	32,755	43,756	48,682	53,799	58,436	15.57
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	2,087	2,085	2,162	2,233	2,339	2.89
कुल (अ)	34842	45841	50844	56032	60775	14.92
(ब) अन्य लोक लेखा दायित्व						
लघु बचत , भविष्य निधि , इत्यादि	1356	1197	1076	1142	1211	(-) 2.79

आरक्षित निधि	867	876	1259	1551	1930	22.15
जमा एवं अग्रिम	6,504	8,616	13,647	18,370	19,866	32.20
कुल (ब)	8,727	10,689	15,982	21,063	23,008	27.42
कुल राजकोषीय दायित्व (अ)+(ब)	43,569	56,530	66,826	77,095	83,783	17.76
राजकोषीय दायित्वों में वृद्धि (प्रतिशत)	15.90	29.70	18.20	15.40	8.70	लागू नहीं
वर्तमान मूल्य पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व (प्रतिशत)	19.90	27.40	28.40	30.20	27.20	लागू नहीं
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय दायित्व	138.03	139.10	142.00	146.10	149.20	लागू नहीं

स्रोत: झारखण्ड सरकार के संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान सरकार का कुल ऋण ₹ 43,569 करोड़ (1 अप्रैल 2015) से बढ़कर ₹ 86,783 करोड़ (31 मार्च 2019) हुआ। सार्वजनिक ऋण की परिपक्वता प्रोफाईल कंडिका 1.10.1 के अन्तर्गत तालिका 1.32 में दर्शाई गई है।

वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. से राजकोषीय दायित्व का अनुपात राज्य के लिए 14वें वित्त आयोग द्वारा किये गये मानक अनुमान (26.31 प्रतिशत) की तुलना में 2018-19 में 27.20 प्रतिशत था।

अविभाजित बिहार के वित्तीय दायित्वों को उत्तराधिकारी राज्यों के बीच संविभाजित किया जाना अभी शेष है।

अनुशंसा : राज्य के राजकोषीय मापदंडों के संबंध में 14^{वें} वित्त आयोग के अनुमानों को प्राप्त करने हेतु राज्य को कदम उठाना चाहिये।

1.9.3 हास निधि

2016-17 के दौरान 12वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का पालन करते हुए, राज्य ने बैंक से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन हेतु एक समेकित हास निधि सृजित किया है। अग्रतर, 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, वर्ष के प्रारंभ में बकाया दायित्वों का 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान इस निधि में अंतरित करना अपेक्षित था।

झारखण्ड सरकार के पास 2018-19 के प्रारंभ तक ₹ 77,095 करोड़ का बकाया ऋण था, जिसके लिए निधि में कम से कम ₹ 385.48 करोड़ की राशि अंतरित करना अपेक्षित था। यद्यपि झारखण्ड सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 255 करोड़ का बजट प्रावधान किया, तथापि निधि में राशि अंतरित नहीं की गयी।

1.9.4 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश, 2015 की कंडिका 7 के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से प्राप्त एस.डी.आर.एफ. अंशदान को अपने अंशदान के साथ प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर लोक लेखा खाते में अंतरित किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का विलम्ब के लिए राज्य सरकार को राशि को विलम्ब के दिनों के अनुसार ब्याज (आर.बी.आई. के बैंक दर से) देनी होगी।

2018-19 के दौरान देखा गया कि राज्य सरकार अपने अंशदान के साथ केंद्र सरकार से प्राप्त अंशदान को लोक लेखा खाता में केन्द्रांश की प्राप्ति से 11 दिनों

(₹ 210.50 करोड़) और 184 दिनों के विलम्ब से प्रेषित किया जिसके लिए राज्य सरकार को ₹ 1.46 करोड़ का ब्याज भुगतान करना था जो नहीं किया गया।

एस.डी.आर.एफ. दिशानिर्देश 2015 के कंडिका 19 एवं 20 के अनुसार, निधि की राशियों को राज्य द्वारा (क) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ (ख) नीलामी ट्रेजरी बिल तथा (ग) ब्याज अर्जित करनेवाले जमा और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा प्रमाणपत्र में निवेश किया जाना चाहिए। झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग ने (जुलाई 2019) सूचित³⁹ किया था कि वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 400 करोड़ अनुसूचित वाणिज्य बैंक में निवेश किया गया।

अग्रतर, दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को निवेश नहीं किये गये शेष पर ओवरड्राफ्ट पर भुगतेय ब्याज (8.25 प्रतिशत) की दर से ब्याज का भुगतान करना था जिसे स्वयं निधि के कोष में डाला जाना था। तथापि, झारखण्ड सरकार ने एस.डी.आर.एफ. को इसके सृजन के समय से ही किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया जो 2011-19 अवधि हेतु लागू ब्याज की दरों पर ₹ 535.83 करोड़ परिकलित होता है। इसमें से, अकेले 2018-19 हेतु भुगतान न किये गये ब्याज की राशि ₹ 94.96 करोड़ थी परिणामतः उस वर्ष में राजस्व आधिक्य की अत्योक्ति और राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति हुई जिसकी चर्चा कंडिका 3.9 में की गयी है। अतः ₹ 1,930.09 करोड़ अनिवेशित निधि 31 मार्च 2019 को केवल खाता प्रविष्टि मात्र थी और यह वास्तविक शेष नहीं था। इस प्रकार निधि के प्रचालन के बाद से अभुगतित ब्याज राज्य की अलेखांकित देनदारियों को दर्शाता है।

अनुशंसा : राज्य को भारत सरकार से प्राप्त अंशदान के साथ-साथ अपने अंशदान का अंतरण समय पर लोक लेखा में तथा निधि में पड़ी शेष राशि का निवेश एस.डी.आर.एफ. के दिशा-निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित करना चाहिए।

1.9.5 प्रत्याभूतियों की स्थिति - आकस्मिक दायित्व

भारत का संविधान प्रावधान करता है कि कोई राज्य, भारत की सीमा के भीतर, अपने संचित निधि की प्रतिभूति पर, ऐसी सीमा जो समय-समय पर उसके विधानसभा के अधिनियम द्वारा निर्धारित हो उधार ले सकता है और ऐसी सीमा के अंदर जो तय किया जाये प्रत्याभूति दे सकता है।

12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार, झारखण्ड सरकार को वर्ष के प्रारंभ में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान के साथ प्रत्याभूति ऋणमुक्ति निधि (प्रत्या.ऋ.नि.) गठित करना था। तथापि, निधि सृजित नहीं की गयी है।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण की रूपरेखा

राज्य सरकार के ऋण के परिमाण के अलावे विभिन्न संकेतक जो राज्य की ऋण वहनीयता⁴⁰ को निर्धारित करते हैं का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। यह खण्ड ऋण

³⁹ पत्र संख्या 554 दिनांक 23 जुलाई 2019 के अनुसार

⁴⁰ समय की एक अवधि में एक नियत ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात को बरकरार रखने की क्षमता ही ऋण वहनीयता है। यह इसके ऋण की सेवा की क्षमता के बारे में महत्व को प्रस्तुत करता है। इसलिए, ऋण वहनीयता चालू या प्रतिबद्ध दायित्व के निर्वहन के लिए नगद परिसंपत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधार की लागत एवं ऐसे उधार से लाभ के बीच संतुलन रखने की क्षमता से संबंधित है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में चढ़ाव ऋण की सेवा की क्षमता में वृद्धि के साथ मेल खाता है।

स्थिरीकरण⁴¹, गैर-ऋण प्राप्तियों⁴² की पर्याप्तता, उधार ली गयी निधियों⁴³ की निवल उपलब्धता, ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान अनुपात द्वारा मापित) एवं राज्य सरकार के प्रतिभूतियों के परिपक्वता विवरण के संदर्भ में राज्य सरकार के ऋण वहनीयता का मूल्यांकन करता है।

लोक ऋण परिपक्वता विवरण को तालिका 1.32 में विस्तार रूप से दर्शाया गया।

तालिका 1.32: लोक ऋण की परिपक्वता विवरण

(₹ करोड़ में)

परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार के ऋण एवं अग्रिम	कुल	प्रतिशत
2019-20	2,614	194	2,808	4.62
2020-21	1,269	206	1,475	2.43
2021-22	2,579	217	2,796	4.60
2022-23	4,925	217	5,142	8.46
2023-24	4,275	222	4,497	7.40
2024-25	6,275	224	6,499	10.69
2025-26	6,579	194	6,773	11.14
2026-27	6,247	89	6,336	10.43
2027-28	2,062	88	2,150	3.54
2028-29	6,519	87	6,606	10.87
2029-30 से आगे	7,647	598	8,245	13.56
परिपक्वता वर्ष का विवरण नहीं है	7,446	3	7,449	12.26
कुल	58,437	2,339	60,776	100.00

स्रोत: वित्त लेख 2018-19

लोक ऋण की परिपक्वता विवरण से यह उदघटित हुआ कि वर्ष 2022-23 से इसका विमोचन दबाव बढ़ने की संभावना है तथा झारखंड सरकार भंडार की परिपक्वता के कारण वर्ष 2025-26 में इसकी शीर्ष पर पहुँचने की संभावना है।

1.10.2 ऋण वहनीयता

यदि सरकार भविष्य में देनदार के भंडार की देख-रेख में सक्षम होती है और ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय नहीं होता है तो राजकोषीय देनदारियों को टिकाऊ कहा जा सकता है। डोमर मॉडल सार्वजनिक ऋणों के विश्लेषण के लिए एक मॉडल है, जो यह बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ऋण पर ब्याज की दर से

⁴¹ स्थिरता के लिए आवश्यक शर्त यह स्पष्ट करता है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर ब्याज दर या लोक उधार लागत से बढ़ता है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात के स्थिर रहने की संभावना होती है यदि प्राथमिक शेष या तो शून्य या धनात्मक हो या थोड़ा ऋणात्मक हो।

⁴² वृद्धिशील ब्याज दायित्वों और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण वहनीयता उल्लेखनीय रूप से सुसाध्य हो सकता है यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियाँ वृद्धिशील ब्याज दायित्व और वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकें।

⁴³ कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित और उस सीमा को इंगित करता है जिस तक ऋण प्राप्तियाँ, उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता को दर्शाते हुए ऋण विमोचन में उपयोग में लाये जाते हैं।

अधिक है, तो ऋण-जी.डी.पी. अनुपात स्थिर रहने की संभावना है। तालिका 1.33 डोमर स्थिरता की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.33: डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता

जी.-आर. (जी.-वास्तविक आर्थिक वृद्धि दर, आर: वास्तविक ब्याज दर) डोमर गैप कहा जाता है।	एस.< शून्य (प्राथमिक घाटा)	एस. > शून्य (प्राथमिक अधिशेष)
जी.-आर.> शून्य (मजबूत आर्थिक विकास)	सार्वजनिक ऋण, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में स्थिर मूल्य को बताता है और इसे बनाए रखता है। ऋण के स्टॉक के आधार पर, शून्य से अधिक एक स्थिर स्तर पर पहुँचने के लिए यह या तो बढ़ेगा या घटेगा।	सार्वजनिक बचत के लिए शून्य की तुलना में, सार्वजनिक ऋण स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में एक स्थिर स्तर पर परिवर्तन होना चाहिए।
जी.-आर.< शून्य (मजबूत आर्थिक वृद्धि)	सार्वजनिक ऋण, स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में, इसकी स्थिरता में परिवर्तन किए बिना ही अनिश्चित रूप से बढ़ेगा।	अनिर्धारित स्थिति

डोमर विश्लेषण को झारखण्ड में लागू करने से यह पता चला कि राजकोषीय देनदारियों को एक स्थिर स्तर पर परिवर्तित करना चाहिए, जैसा कि निम्न तालिका 1.34 में दिखाया गया है।

तालिका 1.34: 2014-19 के दौरान राज्य के जमा ऋण की धारणीयता

वर्ष	वास्तविक आर्थिक वृद्धि (जी.) (प्रतिशत)	वास्तविक ब्याज दर (आर.)	डोमर गैप (जी.-आर.)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+) (₹ करोड़ में)
2014-15	12.49	0.52	11.97	(-) 3,635
2015-16	(-) 6.25	0.73	(-) 6.98	(-) 8,203
2016-17	10.46	1.46	9.00	(-) 6,020
2017-18	12.65	3.08	9.57	(-) 7,271
2018-19	6.99	2.39	4.60	(-) 1,777

■ वास्तविक आर्थिक विकास दर की गणना वास्तविक स.रा.घ.उ. (अर्थात स्थिर कीमतों पर) के लिए की गई है।
 ■ वास्तविक ब्याज दर की गणना वित्तीय देनदारियों ऋणात्मक मुद्रास्फीति पर औसत ब्याज की दर के रूप में की जाती है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 और 2018-19 से औसत मुद्रास्फीति प्राप्त की गई है।

वर्ष 2014-19 के दौरान, राज्य में प्राथमिक घाटा ₹ 1,777 करोड़ से ₹ 8,203 करोड़ का रहा। वर्ष 2015-16 को छोड़कर वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान डोमर गैप (जी.-आर.) सकारात्मक रही। इसलिए तालिका 1.34 में विस्तृत में डोमर मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की स्थिति के मद्देनजर, राज्य सरकार ने वित्तीय देनदारियों की स्थिति को पूरा किया (जी.-आर.>शून्य)। हालांकि यह उल्लेखनीय है कि डोमर गैप (जी.-आर.) एक स्थिर या स्थिर बढ़ती प्रवृत्ति को पंजीकृत नहीं कर रहा है। डोमर गैप को इस तथ्य के साथ देखा जाना चाहिए कि वर्ष 2018-19 के दौरान 2.39 प्रतिशत की औसत वास्तविक ब्याज दर के मुकाबले 70.60 प्रतिशत का

आंतरिक ऋण⁴⁴, आठ प्रतिशत से अधिक की ब्याज दरों पर उधार लिया गया था। इसके अलावा, अन्य कारकों जैसे कि सार्वजनिक खाता देनदारियों, अप्रत्याशित घटना⁴⁵ और/या कोई अन्य राजस्व की एकतरफा नुकसान राज्य की अतिरिक्त उधार और ऋण स्थिरता/राज्य की स्थिरता⁴⁶ के लिए राजकोषीय स्थान का आकलन करने में, राजस्व के नुकसान का भी आकलन किया जाना चाहिए।

राजकोषीय घाटा और ऋण धारणीयता

राजकोषीय स्थिरता के उपरोक्त संदर्भ में, तेरहवें वित्त आयोग ने ऋण जी.एस.डी.पी. अनुपात और राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के संदर्भ में ऋण स्थिरता को पारिभाषित किया है। चौदहवें वित्त आयोग ने (चौ.वि.आ.) केन्द्र और राज्य सरकार के लिए राजकोषीय समेकन के लिए सिफारिश की और स.रा.घ.उ. के प्रतिशत के 'प' में राजकोषीय घाटे और ऋण भंडार की सीमाएँ प्रदान की हैं। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2007 में झारखंड सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे की स.रा.घ.उ. के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं बनाए रखने का निर्णय लिया है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के मददयेनजर, बजट के साथ प्रस्तुत एम.टी.एफ.पी. के विवरण में प्रत्येक वर्ष स.रा.घ.उ. प्रतिशत को ऋण भंडार का लक्ष्य दिया गया था।

चौ.वि.आ. लक्ष्यों और एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों की तुलना में ऋण भंडार की स्थिति तालिका 1.35 में दी गई थी।

तालिका 1.35: ऋण स्थिरता एफ.आर.बी.एम. संकेतक आधारित विश्लेषण

वर्ष	जी.एस.डी.पी.का राजकोषीय घाटा (प्रतिशत में)		जी.एस.डी.पी. का ऋण भंडार (प्रतिशत में)		राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान (प्रतिशत में)	
	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी. के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के तहत एम.टी.एफ.पी.के अनुसार लक्ष्य	उपलब्धि	चौ.वि.आ. का लक्ष्य	उपलब्धि
2015-16	2.80	5.58	21.55	27.40	10.00	8.17
2016-17	2.16	4.31	25.16	28.30	10.00	8.87
2017-18	2.49	4.32	26.65	27.90	10.00	8.84
2018-19	2.61	2.16	29.74	27.20	10.00	8.64

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे, एम.टी.एफ.पी. और चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन

राज्य सरकार वर्ष 2018-19 के दौरान एफ.आर.बी.एम. लक्ष्यों के नीचे राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने में सक्षम थी। राजस्व प्राप्तियों के (ब्याज भुगतान का बोझ) लिए ब्याज भुगतान के अनुपात के लक्ष्य भी हासिल किए गए और यह 2015-16 से 2018-19 के दौरान लगभग स्थिर रहा। जी.एस.डी.पी. से ऋण अनुपात 2015-16 से 2017-18 के दौरान एफ.आर.बी.एम. के अंदर नहीं था। हालांकि, यह वर्ष 2018-19 के दौरान लक्ष्य के अंदर था।

⁴⁴ राजकोषीय देनदारियों में आंतरिक ऋण 69.75 प्रतिशत का है।

⁴⁵ वर्तमान कोरोनावायरस महामारी की तरह और जी.एस.डी.पी. की दर इसका प्रभाव।

⁴⁶ जैसा कि ये सांख्यिकीय पे से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, उन्हें विश्लेषण में निर्धारित नहीं किया गया है।

1.10.3 उधार निधियों की निवल उपलब्धता

वर्ष 2014-19 के दौरान लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों की उपलब्ध निवल निधि को तालिका 1.36 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.36: उधार निधियों की निवल उपलब्धता

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्ति	19,808	28,482	19,193	25,206	22,224 ⁴⁷
लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन व ब्याज)	16,762	18,841	12,969	19,599	20,388
उपलब्ध निवल निधि	3,046	9,641	6,224	5,607	1,836
लोक ऋण तथा अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों को उपलब्ध निवल निधि की प्रतिशतता	15.38	33.85	32.43	22.24	8.26

स्रोत: संबंधित वर्षों के झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

उधार राशि की निवल उपलब्धता 2015-16 के ₹ 9,641 करोड़ से धीरे धीरे घटकर 2018-19 में ₹ 1,836 करोड़ हो गई। 2018-19 के दौरान, उधार ली गई निधियों में मुख्य योगदानकर्ता बिना ब्याज वाले जमा (₹ 1,497 करोड़) थे।

2018-19 के दौरान, सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियों के तहत राज्य की प्राप्तियों में 12 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि सार्वजनिक ऋण की अदायगी और ब्याज सहित अन्य देनदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को उधार ली गयी निधियों की कम उपलब्धता थी।

जैसा कि तालिका 1.36 से स्पष्ट है कि उधार निधि का 91.74 प्रतिशत वर्तमान देनदारियों में 2018-19 में उपभोग किया गया। आगे उधारी के तहत प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता 2017-18 में 22.24 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 8.26 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष के दौरान राज्य में पूँजीगत कार्यों के लिए उधार ली गई निधियों की कम उपलब्धता का संकेत था।

⁴⁷ छोटी बचतें, भविष्य निधि इत्यादि (₹1,120 करोड़) ब्याज वाले आरक्षित निधि (₹ 421 करोड़) ब्याज वाले जमा (₹ 426 करोड़) और बिना ब्याज वाले जमा (₹ 12,454 करोड़)